हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला मण्डल, शिमला-6 का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 1.4.90 से 31.3.91

" भाग - 1 "

1. पिछला लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

पिछले लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया पैरों के निपटारे की स्थिति निम्न प्रकार है । हि0 प्र0 आवास बोर्ड के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पिछले सभी प्रतिवेदनों में शेष निपटारे हेतु पैरों पर शीघ्र कार्यवाही करें तथा अनुपालना रिपोर्ट इस विभाग को शीघ्र भेजें ।

(क) अवधि 4/84 से 3/85 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति :-

(1) पैरा 2 — निर्णीत ।
(2) पैरा 3,4 तथा 5 — अनिर्णीत ।
(3) पैरा 6(1) — अनिर्णीत ।
(4) पैरा 6(6)(ए)तथा(बी) — अनिर्णीत ।
(5) पैरा 6(8) — निर्णीत ।
(6) पैरा 6(10)(ए0 तथा बी0) — अनिर्णीत ।
(7) पैरा 7 — अनिर्णीत ।
(8) पैरा 9 — अनिर्णीत ।
(9) पैरा 11 (ए0 तथा बी0) — अनिर्णीत
(10) पैरा 12 — निर्णीत ।
(11) पैरा 13(2) — निर्णीत ।
(12) पैरा 14 — अनिर्णीत ।

(ख) अवधि 4/85 से 3/86 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति :-

(1) पैरा 3 — निर्णीत ।
(2) पैरा 4(बी0 से ई0) — अनिर्णीत ।

(3)	पैरा 4(एक)(1)	अनिर्णीत ।
(4)	पैरा 4(एक)(2)	निर्णीत ।
(5)	पैरा 5(बी)	निर्णीत ।
(6)	पैरा 7	निर्णीत ।
(7)	पैरा 8 (ए)	अनिर्णीत ।
(8)	पैरा 10 (बी)	अनिर्णीत ।
(9)	पैरा 10 (डी)	अनिर्णीत ।
(10)	पैरा 10 (ई)	निर्णीत ।
(11)	पैरा 10 (एफ) तथा (जी)	अनिर्णीत ।
(12)	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत ।
(13)	पैरा 12 (1)	निर्णीत ।
(14)	पैरा 12 (2 से 5)	अनिर्णीत ।
(15)	पैरा 14 (ए)	निर्णीत ।
(16)	पैरा 14 (बी)	अनिर्णीत ।
(17)	पैरा 15(ए)	निर्णीत ।
(18)	पैरा 15 (बी)	अनिर्णीत ।
(19)	पैरा 15 (सी)(1)	निर्णीत ।
(20)	पैरा 15 (ई० तथा एफ०)	निर्णीत ।
(21)	पैरा 16	अनिर्णीत ।

(ग) अवधि 4/86 से 3/87 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति :-

(1)	पैरा 3	निर्णीत ।
(2)	पैरा 4(1,4,6 से 8)	अनिर्णीत ।
(3)	पैरा 4(2,तथा 5)	निर्णीत ।
(4)	पैरा 5(1 से 7)	अनिर्णीत ।
(5)	पैरा 5(8)	निर्णीत ।
(6)	पैरा 5(9 से 11)	अनिर्णीत ।
(7)	पैरा 5[illegible](ए)	निर्णीत ।
(8)	पैरा 5[illegible](बी) तथा (13)	अनिर्णीत ।
(9)	पैरा 5 (14)	निर्णीत ।

20

---

[10] पैरा 6 तथा 7[1] तथा [2] अनिर्णीत ।

[11] पैरा 7 [3] तथा [4] निर्णीत ।

[12] पैरा 8[1] से [10][12] तथा[13] निर्णीत ।

[13] पैरा 8 [11] अनिर्णीत ।

[14] पैरा 9 से 14. अनिर्णीत ।

[घ] अवधि 4/87 से 3/88 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति :-

---

[1] पैरा 3 निर्णीत ।

[2] पैरा 4[1] निर्णीत ।

[3] पैरा 4[2] से [5] अनिर्णीत ।

[4] पैरा 4[6] निर्णीत ।

[5] पैरा 4[7] अनिर्णीत ।

[6] पैरा 4 [8] निर्णीत ।

[7] पैरा 4 [9] से [15] अनिर्णीत ।

[8] पैरा 5 अनिर्णीत ।

[9] पैरा 6[1] निर्णीत ।

[10] पैरा 6[2] से [7] अनिर्णीत ।

[11] पैरा 7 [1] निर्णीत ।

[12] पैरा 7 [2] से [6] अनिर्णीत ।

[13] पैरा 8 [1] निर्णीत ।

[14] पैरा 8 [2] से [9] अनिर्णीत ।

[15] पैरा 9 से 11. अनिर्णीत ।

[ड•] अवधि 4/88 से 3/89 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति :-

---

[1] पैरा 3 निर्णीत ।

[2] पैरा 4[1] से [3] अनिर्णीत ।

[3] पैरा 4[4][ए] निर्णीत ।

[4] पैरा 4[4][बी] अनिर्णीत ।

[5] पैरा 4[4][सी] निर्णीत ।

[6] पैरा 4[4][डी० से एफ०] अनिर्णीत ।

[7] पैरा 4[5] से [12][ए][बी] तथा[सी]अनिर्णी

/ 201 /

-=-

‖8‖	पैरा 4‖12‖डी‖	निर्णीत ।
‖9‖	पैरा 5 तथा 6	अनिर्णीत ।
‖10‖	पैरा 7 ‖1‖ तथा ‖2‖	निर्णीत ।
‖11‖	पैरा 7 ‖3‖ तथा ‖6‖	अनिर्णीत ।
‖12‖	पैरा 7 ‖7‖	निर्णीत ।
‖13‖	पैरा 7 ‖8‖ से ‖10‖	अनिर्णीत ।
‖14‖	पैरा 8 से 12 ‖1‖ से ‖7‖	अनिर्णीत ।
‖15‖	पैरा 12 ‖8‖	निर्णीत ।
‖16‖	पैरा 12 ‖9‖ तथा ‖13‖	अनिर्णीत ।

‖च‖ अवधि 4/89 से 3/90 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति :-

इस अवधि का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 के पृष्ठांकन संख्या:फिन‖एल0एफ0‖एच‖2‖‖15‖14-123/88-खण्ड, दिनांक 27.9.1991 द्वारा जारी किया गया तथा शिमला मण्डल कार्यालय में 2.12.1991 को प्राप्त हुआ है । इस लेखा परीक्षा का अटिप्पण उत्तर अभी तक भेजा नहीं गया है । जिसे अविलम्ब प्रस्तुत किया जाए फिर भी पैरा 4‖7‖, 4‖15‖‖बी‖ से ‖डी‖ तथा 8‖3‖ को लेखा परीक्षा के दौरान निर्णीत कर दिया गया है । तथा शेष सभी पैरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है

-=-

" भाग - 2 "

वर्तमान लेखा परीक्षा :-

वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि 4/90 से 3/91 तक, जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिए गए हैं, श्री एस0 आर0 सैन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.1991 से 06.06.1992 तक किया गया । अप्रैल,1990, अगस्त,1990, दिसम्बर,1990 तथा मार्च,1991 के मासों के लेखों का विस्तारपूर्वक परीक्षा किया गया ।

— 202 —

3. लेखा परीक्षा शुल्क :-

लेखा परीक्षा का शुल्क परिशिष्ट"क" के अनुसार रु0 5175/-रुपये बना । सचिव एवं मुख्य अभियन्ता को पत्र संख्या: 90-91/लै0प0[अ0/बोर्ड/ दिनांक 22.12.1992 द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त राशि को लेखा शीर्ष "0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60-अन्य सेवाएँ, 110- सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क, हिमाचल प्रदेश" में सरकारी कोष में जमा करवाएँ और जमा का मूल चालान पुष्टि एवं वापिसी हेतु इस विभाग को प्रस्तुत करें ।

4. अग्रिम :-

[क] कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला मण्डल के अधीन विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध 31.3.1991 को रु0 1,65,456.09 रुपये की राशि "कर्मचारियों को अग्रिम" के रूप में समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी जिसका ब्यौरा कर्मचारी अनुसार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट"ख" पर दिया गया है । इस स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है कि वे अग्रिम प्रदत्त राशि के लेखे अविलम्ब प्राप्त करें । बहुत से अधिकारी /कर्मचारी मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके हैं परन्तु उन्होंने अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं करवाया है ।

[ख] विविध अग्रिम :-

रु, 29,08,306.14 रुपये की धनराशि दिनांक 31.3.9 को अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, फर्मों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी । जिसका विवरण प्रत्येक अनुसार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट"ग" पर दिया गया है । उपरोक्त अग्रिम की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशियों का बकाया रहने का कोई औचित्य नहीं है । इन राशियों की समय रहते साथ-साथ वसूली की जानी चाहिए थी । परन्तु इसके विपरीत वसूली करने के प्रयत्न नहीं किए गए हैं । यह मामला आवास बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि वे इस भारी राशि के समायोजन के लिए सम्बन्धित विभाग

से मामला उठाएँ । — 203 —

5. निर्माण कार्य :- उप मण्डल -1, शिमला :

[क] वाउचर सं0 40 दिनांक 9.8.90 राशि रु0 19565/-रु

निर्माण कार्य : केन्द्रीय जेल भवन काण्डा का निर्माण, उप शीर्ष :आर0डी0 870 से 1088 तक दीवार के पीछे कटिंग तथा मिट्टी की भराई का कार्य :-

इस निर्माण कार्य के लिए रु0 19565/-रुपये का भुगतान श्री मनी राम ठेकेदार को प्रथम एवं अन्तिम बिल के "निर्माण कार्य आदेश संख्या":11 वर्ष 1990-91 राशि रु0 20,000/-रुपये" किया गया है । इस निर्माण कार्य की जाँच पड़ताल उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई जिनका का ब्यौरा इस प्रकार है :-

[1] आर0 डी0 870 से आर0 डी0 1088 तक की दीवार के पीछे कटिंग तथा मिट्टी की भराई के निर्माण कार्य के लिए रु0 1,90,220/-रुपये का व्यय अनुमान बनाया गया । तथा पत्र संख्या:एच0पी0एच0-[डी0पी0]-स्थानीय जेल/काण्डा/90-46, दिनांक 16.4.90 को अधीक्षण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को तकनीकी स्वीकृ-ति के लिए प्रस्तुत किया गया जिसकी स्वीकृति इस लेखा परीक्षा की अवधि तक भी प्राप्त नहीं हुई है । इसके विपरीत यह निर्माण कार्य छोटे-छोटे निर्माण भागों/ कार्य आदेशों द्वारा बिना स्वीकृ ति से करवाया गया जो कि अनियमित तथा बहुत ही आपत्तिजनक है । इस निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितता की आशंका है इसी लिए अधीक्षण अभियन्ता से अभी तक तकनीकी स्वीकृति नहीं आई है । इस निर्माण कार्य का बिना तकनीकी स्वीकृ-ति से कार्यान्वयन करने के लिए औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

[2] यह भी पाया गया कि यह निर्माण कार्य, निर्माण कार्य आदेशों के आधार पर किया गया है परन्तु व्यवहारिक व्यय अनुमान भी नहीं बनाया गया जो कि कार्यान्वयन करने से पूर्व अनिवार्य था और न ही डी0एन0आई0टी0 स्वीकृत करवाई गई । यदि यह कार्य टेण्डर लगाकर करवाया जाता तो व्यय निश्चय ही कम आता ।

२०५.

परन्तु यह कार्य छोटे-छोटे निर्माण कार्य आदेशों में विभाजित कर व्यय अनुमान स्वीकृत किए बगैर सीधा ठेकेदारों से करवाया गया ताकि अधिशासी अभियन्ता की वित्तीय शक्तियों के अधीन रह सके तथा उच्च अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति से बचा जा सके। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति से कार्य आदेश पर कार्य करवाने पर व्यय अधिक नहीं आया है।

[3] सड़क निर्माण कार्य सेत विभाग का निक्षेप निर्माण कार्य था। इस कार्य के लिए उपयुक्त राशि प्राप्त नहीं हुई थी। अभिलेख के जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि उपयुक्त राशि प्राप्त न होने के कारण ही दीवार निर्माण का दर सके ठेका जो अनुबन्ध संख्या:14 वर्ष 1989-90 के अधीन दिया गया था, विखण्डित किया गया परन्तु इस निर्माण कार्य के लिए धन प्राप्त न होने की अवस्था में कार्य निष्पादन कैसे किया गया और व्यय की हुई राशि की पूर्ति कहाँ से होगी जिसका व्यय निम्नलिखित निर्माण कार्य आदेशों पर रु0 36739/-रुपये की राशि का व्यय हुआ है।

माप पुस्तिका सं0	निर्माण कार्य आदेश सं0	राशि [रुपये]
715/87	66 वर्ष 1989-90	रु0 16742.00 रु0
694/87	11 वर्ष 1990-91	रु0 19997.00 "
	योग :-	रु0 36739.00 "

[4] वाउचर सं0 22 दिनांक 7.8.90 राशि रु0 40,970.00

निर्माण कार्य : केन्द्रीय सेत भवन लाण्डा का निर्माण : उप शीर्ष : आर0डी0 870 से 1088 तक, कुल बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य [निक्षेप निर्माण कार्य]।

निर्माण कार्य अनुबन्ध संख्या : 5, वर्ष 1989-90.

क्र: "

इस निर्माण कार्य के लिए रु0 40970/-रुपये का भुगतान श्री के0सी0 मिश्रा, ठेकेदार को ग्यारहवें तथा फाइनल निर्माण कार्य बिल में किया गया है। इस निर्माण कार्य की लेखा परीक्षा उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई, जिनका

— 205 —

ब्यौरा इस प्रकार है :-

[1] इस निर्माण की निविदा पत्र संख्या: केन्द्रीय वेद, शिमला-33-खण्ड-[1], दिनांक 29.5.89 द्वारा निविदा राशि रु0 9,18,409.85रुपये के लिए डी0एन0आई0टी0 राशि रु0 6,49,343.00 रुपये पर श्री के0 बी0 सिन्हा, ठेकेदार को ठेके देने के लिए स्वीकृत की गई । परन्तु इस में कुछ मदें विभागीय औचित्य से अधिक दरों पर दी गई और जिन मदों की अधिक दरें दी गई उन्हीं मदों का कार्यान्वयन डी0एन0आई0टी0 में दर्शाई गई मात्रा से काफी अधिक किया गया । यदि सही मात्राएँ पहले ही डी0एन0आई0टी0 में दी गई होतीं तो इन मदों की दरें कम उद्धृत हो सकती थी । इस प्रकार निम्नलिखित मदों का निम्नानुसार अधिक दर स्वीकृत करने के लिए औचित्य बताया जाए तथा अनियमितता का लेखांकन किया जाए ।

निर्माण कार्य की मद	डी0एन0आई0टी0 के आधार पर दरें	विभागीय औचित्य के अनुसार पर दरें ।	ठेकेदार को दी गई दरें
	रु0	रु0	रु0
मिट्टी कोंकटिंग का निर्माण कार्य ।	14.30	19.55	35.00
मिट्टी में निर्माण कार्य में नींव की खुदाई ।	22.12	30.75	35.00
दीवार के पीछे पत्थरों की भराई का निर्माण कार्य ।	108.45	121.90	125.00
15 एमएम सीमेंट प्लास्टर का निर्माण कार्य ।	11.20	18.50	20.00
प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग ऑफ विकृन इन जॉइन्टस ।	28.50	63.85	100.00

[2] इसी प्रकार इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित मदों की निष्पादित मात्रा डी0एन0आई0टी0 में स्वीकृत की गई मात्रा से शत-प्रतिशत से भी अधिक है । इतनी अधिक मात्रा में विकृत के कारण स्पष्ट किए जाएँ तथा सक्षम प्राधिकारी से संशोधित स्वीकृति प्राप्त की जाए ।

निर्माण कार्य की मद का नाम	एम०बी०सं०	डी०एन०आर०डी० में मात्रा घ०मी० में	वास्तविक कार्यान्वयन मात्रा घ०मी० में	अन्तर घ०मी०	दर रु० प्रति घ०मी०	राशि रु०
मिट्टी की कटिंग का निर्माण कार्य	713/87 पृ० 45	294.30	1511.83	1217.53	35/-	42614
मिट्टी के निर्माण कार्य में नींव की खुदाई ।	713/87 पृ० 45.	283.40	1081.66	798.26	35/-	27939/ [illegible]
प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंक्रीट 1:6:12 (1 सीमेंट:6 रेता:12 रोड़ी) 40 एमएम	713/87 पृ० 45	130.80	162.40	31.64	400/-	12656
रैण्डम रब्बल मैसनरी पत्थर में ।	713/87 पृ० 46.	711.90	1466.38	754.48	409.50/	~~30896~~ 3,08,960/-
			योग :-			रुपये 392169/-

(3) मु० 31680.00 रु० का अधिक भुगतान :-

इस निर्माण कार्य की जाँच के उपरान्त पाया गया कि ईंट के मद के निर्माण कार्य में मु० 31680.00 रुपये का अधिक भुगतान हुआ है । माप पुस्तिका सं०:एम०बी०ई०/414/87 पृ० 48-49 में 334.91 घ०मीटर ईंट की दीवार का माप दोबारा लिया गया जिसे अन्तिम पैमायश भी कहा गया है । दोबारा पैमायश में दीवार की चौड़ाई का सार 0.5715 मीटर लिया गया । जबकि पहले इस दीवार का माप 0.57 मीटर चौड़ाई करके लिया गया था और 295.36 घ०मी० का भुगतान किया जा चुका है । जब पहले इस निर्माण कार्य की अभियन्ताओं द्वारा जाँच पड़ताल पश्चात ही पैमायश ली गई थी और भुगतान किया गया था । तो दोबारा माप में चौड़ाई कैसे बढ़ गई । अगर पिछले बिल तक किए गए कार्य के बाद काम ठेकेदार ने किया है तो इसको रिकार्ड ऐन्टरी पृथक से दर्ज करना अनिवार्य था । अत: ऐसा परीक्षा दीवार की चौड़ाई को दोबारा पैमायश तथा बिना रिकार्ड ऐन्टरी किए अन्तिम पैमायश लेने के आंकड़ों से सहमत नहीं है । कृपया ऐसा

207

नियम बनाया जाए जिसमें इस प्रकार की प्रविष्टियाँ करने/पैमाइश लेने का प्रावधान है। वैसे भी इस निर्माण कार्य में पी०डब्ल्यू विनिदेश के अनुसार चौड़ाई 0.57 मीटर ही ली जानी थी तथा 0.5715 से नाप करना ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड के दिशा निर्देशों अनुसार गलत, अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इस प्रकार इस मद में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार रु० 31680/-रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।

दोबारा गणना उपरान्त मात्रा [एम०बी० सं० 414/87 पृ० 48-59]	334.91 घ०मी०
पहले गणना की गई मात्रा : [एम० बी० सं०:713/87 पृ० 44]	295.31 "
अधिक भुगतान की मात्रा :-	39.60 "

दर :- रु० 800/-रु० प्रति घनमीटर।

राशि जो अधिक भुगतान की गई :- 39.60 × 800/- =31680/-

= 31680 रुपये

[4] लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सीमेंट जो आवास बोर्ड ने निर्माण कार्य के लिए जारी करना था उसकी दर अनुबन्ध में कम लगाई गई थी। यद्यपि यह दर रु० 58/-रु० प्रति बोरी के हिसाब से डी०एन०आई०टी० में स्वीकृत की गई थी परन्तु उस समय सीमेंट जारी करने की दर रु० 72/-रु० थी। निर्माण कार्य के लिए जो निविदाएँ बुलाई गई थी वे डी०एन०आई०टी० की स्वीकृति के चार महीने उपरान्त बुलाई गई थी जो/ जबकि उस समय सीमेंट जारी करने की विभागीय दर [इशू रेट] 72/-रुपये प्रति बोरी हो गया था। निविदा फार्म वितरित करते समय प्रचलित इस सीमेंट दर लगाना चाहिए था और उसी दर पर वसूली होनी चाहिए थी। इस प्रकार की अनियमितताओं को समाप्त किया जाए।

[5] लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य के चालू बिलों में तथा इस बिल तक प्रतिभूति राशि नहीं काटी गई, जैसा कि एम०बी० सं०:एच०बी०ई०/713/87 के पृष्ठ 47 में स्पष्ट है। इस चालू बिल तक प्रतिभूति राशि रु० 62720/-रुपये बनती है, जबकि एम० बी० में लिखा गया है कि एन०एस०सी० तथा एफ०डी० आर० के रूप में है। परन्तु रु० 62720/-रुपये के एन०एस०सी० तथा

एफ०डी०आर० दिखाए नहीं गए। नियमानुसार यह पत्र सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के पास गिरवी रखे जाने चाहिए थे ताकि बोर्ड का धन सुरक्षित रहे। इस विषय में आवश्यक कार्यवाई तुरन्त की जाए। ठेकेदार के प्रतिभूति खाते में भी ये राशियाँ दर्ज नहीं हैं। ये राशियाँ एम० बी० के अतिरिक्त किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं है। जो कि अनियमित है तथा बहुत ही आपत्तिजनक है। अनुबन्ध के खण्ड-1 के अनुसार स्पष्ट है कि प्रतिभूति राशि रनिंग बिलों से काटी जायेगी तथा खातों में दिखाई जानी अनिवार्य है। आवास बोर्ड के नियमों में प्रावधान है कि जहाँ धरोहर/प्रतिभूति राशि निविदाकार से नकद में न लेकरके सावधि जमा राशि रसीदें प्राप्त करनी हो वहाँ वह प्रतिभूति राशि रो के 40 % जितनी राशि के एकको डिबैंचर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करके नियमों का उलंघन हुआ है। अतः इस मामले में नियमों का शिथिलीकरण प्राप्त किया जाए।

[6] रु० 884/-80 की आयकर अधिभार की कम कटौती :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य में आयकर अधिभार की एम० बी० संख्या:एच०बो०डी० पृ० 47 में रु० 1767/-रुपये की कटौती की गई है जबकि नियमानुसार रु० 2651/- रुपये की कटौती अनिवार्य थी। इस प्रकार आयकर अधिभार के 884/-80 की कम कटौती की गई है। जिसका ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया है। अतः रु० 884/-80 की कटौती की जाए तथा राशि सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना लेखा परीक्षा को कराई जाए।

[7] लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पेंशन विभाग हिमाचल प्रदेश से निवेश निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त न होने के कारण अधिशाषी अभियन्ता ने पत्र संख्या:एच०बो०डी०/ ए-2[295]/89-4452-55 दिनांक 11.12.1990 द्वारा यह निर्माण कार्य विखण्डित कर दिया और अनुबन्ध के खण्ड-13 के अनुसार ठेकेदार को अन्तिम भुगतान के आदेश दिए गए। अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार ने यह निर्माण कार्य 14.6.90 तक पूरा करना था जो 11.12.90 तक भी पूरा नहीं किया गया न ही उसने समय की बढ़ौतरी की माँग की न ही विभाग ने समय बढ़ौतरी की स्वीकृति

209

प्रदान की । अत: अनुबन्ध के क्लॉज -2 के अनुसार ठेकेदार पर शास्ति आरोपित करनी चाहिए थी । जो अनुमानित व्यय के दस प्रतिशत तक हो सकती है । इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करके लेखा परीक्षा को सूचित किया जाए । यह भी सूचित किया जाए कि इस कार्य की नवीनतम स्थिति क्या है । क्या यह कार्य इन्हीं ठेकेदारों से करवाया जा रहा है और किन शर्तों पर ।

[8] रु0 2940/-रु0 सीमेंट की खाली बोरियों के न काटने में चूक :-

लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य में इस चालू बिल तक एम0 बी0 संख्या[एच0बी0]713/87-पृ0-47 -48 के अनुसार कुल 3265 बोरी सीमेंट प्रयुक्त की गई । अनुबन्ध के क्लॉज 42[i] के अनुसार प्रयुक्त सीमेंट के 90 % खाली बोरी, खाली बोरी एकत्रित करने वाले एजेंट को ठेकेदार द्वारा लौटाए जाने चाहिए थे अर्थात उसे 2940 खाली बोरी लौटाई जानी चाहिए थी जो उसने नहीं लौटाई । जिसकी उससे एक रुपया प्रति बोरी की दर से 2940 रुपये काटने चाहिए थे । जो चालू बिलों में नहीं काटे गए हैं । जिनकी कटौती धरोहर राशि में नियमानुसार की जाए ।

[ग] वा0 सं0 122 दिनांक 28.12.90 राशि रु0 345679/-
वा0 सं0 145 दिनांक 30.3.91 राशि रु0 154672/-

निर्माण कार्य : जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान भवन, जिला शिमला, शानदाघाट [नोट निर्माण कार्य] ।

निर्माण कार्य अनुबन्ध संख्या: 3, वर्ष 1990-91.

इस निर्माण कार्य के लिए रु0 345679/-रुपये तथा रु0 154672/-रुपये का भुगतान श्री अशोक कुमार, ठेकेदार को क्रमश: दूसरे तथा चौथे चालू निर्माण कार्य बिलों में किया गया है । इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई, जिन का ब्यौरा इस प्रकार है :-

[1] इस निर्माण कार्य को निविदा पत्र संख्या:एच0पी0[डी0बी0]/डी0आई0ई0टी0/शिमला/89-अड-II दिनांक 15.6.90 द्वारा

210

निविदा राशि रु0 34,87,538.06 रुपये के लिए डी0एन0आई0टी0 राशि रु0 20,96.885/-रुपये पर श्री अशोक कुमार, ठेकेदार को ठेके पर देने के लिए स्वीकृत की गई । परन्तु इसमें कुछ मदें विभागीय औचित्य से अधिक दरों पर दी गई । तथा जिन मदों को अधिक दरें दी गई उन्हीं मदों का डी0एन0आई0टी0 में दर्शाई गई मात्रा से काफी अधिक किया गया । यदि सही मात्रा पहले ही डी0एन0 आई0टी0 में दी गई होती तो इन मदों की दरें कम हो सकती थी । इस प्रकार निम्नलिखित मदों का नियमानुसार अधिक दर स्वीकृत करने के लिए औचित्य बताया जाए :-

निर्माण कार्य की मद का नाम ।	डी0एन0आई0टी0 के आधार पर दरें ।	विभागीय औचित्य के आधार पर दरें	ठेकेदार को दी गई दरें ।
1.	2.	3.	4.
मिट्टी की कटिंग का निर्माण कार्य ।	14.30 रुपये	23.05 रुपये	32.50 रु
प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 (1सीमेंट:2रेता, :4 बजरी)			
(ए) सस्पैंडिड फ्लोर तथा रूफ्स ।	563.25 "	911.50 "	1000/-रु
(बी) स्टेयर केसिंग ।	594.35 "	960.05 "	1000/-"
(सी) दोवारें तथा संलग्न पिल्लरज़	570.90"	905.50 "	1100/-"
प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंक्रीट 1:1½:3 (1 सीमेंट :1½ रेता,:3 बजरी)	650.00 "	1010.55 "	1100/-"
प्रोवाईडिंग टोर स्टील (लेबरेट)	0.65 "	0.80 "	1.00 "
ईंटों का निर्माण कार्य नींव तथा भू तल तक ।	414.65 "	322.65 "	950.00 "
ईंटों का निर्माण कार्य सुपर स्ट्रक्चर में ।	426.45 "	349.80 "	975.00 "
सुपर स्ट्रक्चर में आधी ईंटों की चिनाई ।	55.90 "	105.60 "	127.00 "

क्रैश गाईड टापलस 6 एमएम	213.65 रु०	288.40 रु०	340.00 रु०

[2] इसी प्रकार इस निर्माण कार्य में मिट्टी की कटिंग के मद में नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार वास्तविक निष्पादन की गई मात्रा डी०एन०आई०टी० में स्वीकृत की गई मात्रा से बहुत ही अधिक है जो कि शत-प्रतिशत से भी अधिक है। इतनी अधिक मात्रा में डिविएशन के कारण स्पष्ट किए जाएं। इससे प्रतीत होता है कि डी०एन०आई०टी० केवल औपचारिकता के लिए स्वीकृत की जाती है और स्थल का अध्ययन किए बिना अनुमान पत्र बनाये जाते हैं।

निर्माण कार्य की मद का नाम	एम०बी०सं०	डी०एन०आई०टी० में मात्रा घ०मी० में	वास्तविक कार्यान्वयन मात्रा घ०मी० में	अन्तर घ०मी० में	दर प्रति घ०मी०	राशि रु०
मिट्टी की कटिंग का कार्य।	730/88	3102.02	15253.64	12151.62	32.50	394928/-

[3] लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री अशोक कुमार, ठेकेदार मु०/व गाँव सेरगाँव, डाकखाना क्योंथिया, तहसील एवं जिला शिमला को यह कार्य पत्र संख्या:एच०पी०[डी वी०]/डी०आई०टी०/शिमला/89-खण्ड-II दिनांक 15.6.90 द्वारा आबंटित किया गया जिसकी निर्माण लागत रुपये 34,87,538.06 रुपये है परन्तु श्री अशोक कुमार अधिक से अधिक 10 लाख के ठेके लेने के पात्र थे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के ज्ञापन संख्या:पी०डब्ल्यू /सी०टी०आर०/32-2/87-खण्ड-61/479-1578 दिनांक 4.7.88 में स्पष्ट है जिसके द्वारा श्री अशोक कुमार को श्रेणी"बी" का ठेकेदार पंजीकृत किया गया है। अत: उक्त ठेकेदार को ठेका देकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। सक्षम प्राधिकारी से इस कार्रवाई के लिए स्वीकृति भी नहीं ली गई है। यदि यह ठेकेदार इस कार्य को अपनी अक्षमता के कारण अधूरा छोड़ देता है तो हानि

– 212

का उत्तरदायी कौन होगा कृपया यह स्पष्ट किया जाए ।

(4) इस निर्माण कार्य के लिए चार ठेकेदारों मै0 ताखलो कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, श्री खलोश गोयल, श्री अशोक कुमार तथा श्री जे0सी0 सिन्हा द्वारा निविदाएँ भरी गई । परन्तु निविदा रजिस्टर के जाँच पड़ताल कर की उपरान्त पाया गया कि धरोहर राशि मु0 20,000/-रु0 निविदा भरने के लिए पहले ही जमा करना अनिवार्य था । श्री अशोक कुमार ठेकेदार के अतिरिक्त शेष तीनों ठेकेदारों ने धरोहर राशि जमा नहीं करवाई जो कि अनियमित एवं बहुत ही आपत्तिजनक है । जिस ठेकेदार के पक्ष में इस निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृत की गई उसी ने धरोहर राशि जमा करवाई । इससे स्पष्ट है कि ठेकेदारों ने पूलिंग कर रखी है ताकि निविदा श्री अशोक कुमार ठेकेदार के पक्ष में की जाए । यह अकेला ही टेण्डर माना गया है अत: अधिशासी अभियन्ता इस टेण्डर को स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं है । इसलिए मुख्य अभियन्ता आवास बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त की/जा जाए ।

(5) लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य के चलत बिलों में तथा इस बिल तक प्रतिभूति राशि 20000/-रु0 कम काटी गई । जैसा कि एम0 बी0 सं0:एच0बी0डी0/730/88 के पृ0 25 पर स्पष्ट है । इस चालू बिल तक प्रतिभूति राशि मु0 57496/-रुपये बनती थी परन्तु मु0 37496/-रु0 ही काटी गई है ठेकेदार के प्रतिभूति खाते में भी 37496/-रु0 ही दर्ज किए गए हैं । मु0 20,000/-रु0 का समायोजन धरोहर के रूप में किया गया जिसकी एफ0डी0आर0 थी । इसका समायोजन नियमानुसार मान्य नहीं है । अनुबन्ध के खण्ड-1 के अनुसार स्पष्ट है कि प्रतिभूति राशि चलत बिलों से 10 % की दर से काटनी है और ठेकेदार के खाते में काटी गई ~~[illegible]~~ राशि दिखाई जानी है । यदि धरोहर राशि नकदी के रूप में प्राप्त की गई है और खातों में दिखाई गई है उसी का चलत कार्य बिलों में समायोजन किया जा सकता है । मु0 20,000/-रु0 की प्रतिभूति कम वसूल करने से केवल ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है ।

(6) मु0 4500/-रु0 की कम वसूली :-

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट जो जारी

-213-

बोर्ड ने निर्माण कार्य के लिए जारी करना था उसकी दर अनुबन्ध में कम लगाई गई थी । यद्यपि यह दर मु0 72/-रु0 प्रति बोरी की दर से डी0एन0आई0टी0 में स्वीकृत की गई थी परन्तु उस समय सीमेंट जारी करने की दर मु0 76/-रु0 थे । जब निविदा जो निर्माण कार्य के ठेके देने के लिए बुलाई गई थी उस समय विभागीय तौर पर सीमेंट जारी करने की दर [इश्यू रेट] 76/-रु0 हो गया था इसलिए अनुबन्ध में ठेकेदार से वसूली दर मु0 76/-रु0 ही अंकित करना अनिवार्य था । इस निर्माण कार्य के लिए इस चालू बिल तक 1125 बोरी सीमेंट इस्तेमाल हुई है । और 72/-रु0 प्रति बोरी की दर से वसूली की गई है जो कि अनियमित है । इस प्रकार मु0 4/-रु0 प्रति बोरी [76-72] के दर से ठेकेदार से कम वसूली की गई है । ** तथा 1125 बोरी के कुल मु0 4500/- रुपये -1125 × 4 [=4500/-रुपये की कम वसूली की गई जो कि ~~[illegible]~~ इस निर्माण कार्य को प्रत्यक्ष घाटा है जिसको बचाया जा सकता था । अत: या तो मु0 76/-रु0 के ~~हिसाब~~ से स्थान पर मु0 72/-रुपये के हिसाब से ठेकेदार से वसूली करने का औचित्य नियमानुसार बताया जाए अन्यथा ठेकेदार से इस राशि की वसूली की जाए ।

[7] मु0 1012.50 रु0 सीमेंट खाली बोरी के न काटने में चूक :-

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य में इस चालू बिल तक एम0 बी0 सं0:एच0बी0सी0/730/88 पृ0 26 के अनुसार कुल 1125 बोरियाँ सीमेंट प्रयुक्त की गई तथा व वसूली कटौती एवं ~~वसूली~~ की गई परन्तु 90 प्रतिशत खाली बोरी ठेकेदार ने वापिस नहीं की जिसका अनुबन्धीय शर्तों अनुसार 1/-रु0 प्रति बोरी की दर से मु0 1012.50 रुपये काटे जाने थे और न ही इसका प्रमाण पत्र दिया गया कि खाली बोरी सम्बन्धित एजेंसी को वापिस की गई है । यह अनुबन्ध के खण्ड-42[1] के अधीन ~~अनिवार्य~~ है अनिवार्य है । अत: रुपये 1012.50 को ठेकेदार से कटौती की जाए ।

[8] वाउचर सं0 113 दिनांक 26.3.91 राशि मु0 5069/-

क.17..

-216-

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन, कण्डा का निर्माण: उपशीर्ष : आर०डी० 0 से 360 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य [निक्षेप निर्माण कार्य] ।

अनुबन्ध संख्या: : 5, वर्ष 1987-88..

इस निर्माण कार्य के लिए रु० 5 69/-रु० का भुगतान श्री के० सी० जिन्टा, ठेकेदार को चौदहवें एवं अन्तिम बिल के रूप में किया गया । इस निर्माण कार्य की लेखा परीक्षा उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई, जिन का ब्यौरा इस प्रकार है ।:-

[1] इस निर्माण कार्य का व्यवहारिक व्यय अनुमान रु० 5,01,095.00 रु० के लिए पत्र संख्या:एच०बी०[डी०बी०]-केन्द्रीय जेल/शिमला-86 दिनांक 17.7.87 द्वारा स्वीकृत किया गया था । तथा रु० 5,01,095.00 रुपये के लिए डी०एन०आई०टी० पत्र संख्या: एच०बी०[डी०बी०] केन्द्रीय जेल/शिमला-86-अप-1 दिनांक 29.7.87. 29.7.87 द्वारा स्वीकृत की गई । इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए निविदा दिनांक 31.7.87 को खोलने के लिए पत्र संख्या: एच०बी०ई०/ए०-एन०आई०[टी०-84-3161-90 दिनांक 13.7.87 द्वारा बुलाई गई और 31.7.87 को ही खोली गई । यह निर्माण कार्य पत्र संख्या: एच०बी०[डी०बी०] केन्द्रीय जेल/शिमला-86 दिनांक 30.11.1987 द्वारा श्री के० सी० जिन्टा ठेकेदार के/प्रा को रु० 13,03,092.00 रुपये में निष्पादित करने के लिए आबंटित किया गया । जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निविदाएँ खोलने के पश्चात् तीन माह के भीतर कार्य आबंटित करने चाहिए परन्तु यह कार्य चार माह के उपरान्त आबंटित किया गया । जो कि नियमानुसार नहीं है । और ठेकेदार विवाचनवाद में इस का फायदा उठा सकता है । इसके अतिरिक्त निविदित राशि रु 13,03,092/-रुपये की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई है । इस कार्य को आबंटित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता सक्षम नहीं है । अत: मुख्य अभियन्ता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना अगले लेखा परीक्षा में ——ई —— ।

- 217 -

[2] मु0 31198/-रुपये की सुरक्षित अग्रिम राशि का गलत भुगतान :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ठेकेदार के खाते पृष्ठ संख्या:2 के अनुसार दिनांक 20.4.89 को ग्यारहवें निर्माण कार्य बिल में पृष्ठ -46 माप पुस्तिका सं0:एम0बी0ई0/692/87 के अनुसार 40,256 ईंटों लाने के लिए मु0 31198/-रुपये का ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया गया । इन ईंटों की इस निर्माण कार्य में आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस निर्माण कार्य में ईंट प्रयोग नहीं हुई । इस का प्रमाण इस बात से स्पष्ट है कि इस निर्माण कार्य में ईंटों का निर्माण कार्य नवें चलत बिल तक पूर्ण हो चुका था । जबकि इस सुरक्षित अग्रिम का भुगतान इसके बाद किया गया । इस का प्रमाण इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि ईंटों के लिए पहले 98352/-रुपये का सुरक्षित अग्रिम दिया गया था जो नवें बिल में पूरा काट लिया गया था । इस प्रकार यह मालूम होता है कि ये ईंटें निर्माण कार्य के स्थल पर नहीं थीं केवल ठेकेदार को अनियमित रूप से लाभ पहुँचाने के लिए सुरक्षित अग्रिम दिया गया और एम0 बी0 में माल के निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र झूठा दिया गया क्योंकि बाद में इस अन्तिम बिल में भी इस राशि की कटौती नहीं की गई इसलिए यह स्पष्ट है कि इस अन्तिम बिल में ठेकेदार को भुगतान योग्य राशि केवल 5069/-रुपये थी परन्तु सुरक्षित अग्रिम 31198/-रुपये था । इसलिए जिस कार्य के लिए यह सुरक्षित अग्रिम दिया गया वह कार्य नहीं हुआ । पूरी ईंटों और सुरक्षित अग्रिम मु0 31198/-रुपये का इसी ठेकेदार के दूसरे निर्माण कार्य में समायोजन वाउचर सं0 30 माह 12/89 द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया जो कि नितान्त अनियमित तथा बहुत ही आपत्तिजनक है । यह वित्तीय नियमों का बराबर उल्लंघन है । इस अनियमितता का उत्तरदायित्व निर्धारित करके ब्याज की वसूली की जाए ।

[3] इस निर्माण कार्य के चलत बिलों में तथा इस बिल तक प्रतिभूति राशि नहीं काटी गई जैसा कि माप पुस्तिका पृ0 70 संख्या:एम0बी0ई0/692/87 में स्पष्ट है । इस अन्तिम बिल तक प्रतिभूति राशि मु0 71,339/-रु0 बनती है । माप पुस्तिका में दर्

- 218 -

है कि रु0 67,500/-रुपये की प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर0 तथा एन0एस0सी0 की छोटी-छोटी रसीदों में जमा है । यह भी पाया गया कि प्रतिभूति राशि जो एन0एस0सी0 ~~में-जमा-की-गई-थी~~ तथा एफ0डी0आर0 में जमा कराई गई थी वह केवल 67,500/-रुपये थी और राशि भी अन्तिम बिल का भुगतान करने से पहले ही लौटा दी गई थी । प्रतीत होता है कि कोई राशि प्रतिभूति रूप में जमा नहीं थी । ठेकेदार के प्रतिभूति खाते में भी यह राशि जमा दर्ज नहीं थी । इसका इन्द्राज माप पुस्तिका के सिवाय किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं था । इससे स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण कार्य किए जाने पर विभाग के पास कटौती करने का या दोष दूर करने का कोई वैधिक साधन नहीं है । कृपया स्पष्ट किया जाए कि बोर्ड के हितों को इस क्रिया से क्या सुरक्षा की गई है ।

§4§ सीमेंट की कम दरों पर वसूली :-

सीमेंट जो आवास बोर्ड ने इस निर्माण कार्य के लिए जारी किया उसकी दर अनुबन्ध में कम लगाई गई थी । यद्यपि यह दर रु0 58/-रुपये प्रति बोरी डी0एन0आई0टी0 में स्वीकृत की गई थी परन्तु उस सीमेंट जारी करने की दर §ईशू रेट§रु0 76/-रुपये प्रति बोरी था । इसलिए अनुबन्ध में ठेकेदार से वसूली दर रु0 76/-रु0 प्रति बोरी अंकित करना अनिवार्य था । इस निर्माण कार्य के लिए कुल 3280 बोरी सीमेंट इस्तेमाल की गई तथा 58/-रुपये के हिसाब से कटौती की गई जो कि अनियमित है । इस प्रकार रु0 18/-रुपये प्रति बोरी §76 - 58 = 18/-रुपये§ के दर से ठेकेदार से कम वसूली की गई है । तथा 3280 बोरी के कुल रु0 59040/-रुपये §3280 × 18 = 59040/-रुपये§ की कम वसूली की गई जो कि इस निर्माण कार्य को प्रत्यक्ष घाटा है जिसको बचाया जा सकता था। यद्यपि इसका व्यय कार्य को डाला गया होगा फिर भी यदि डी0एन0आई0टी0 में सीमेंट दर वर्तमान कराया होता तो निर्माण कार्य कुछ हद तक अवश्य ही कम आता ।

5(ii)(517) §5§ लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि 25 एम0एम0 सीमेंट प्लास्टर तथा प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सिक्स मेस प्लास्टर की मदें नॉन-शडयूल के आधार पर अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित करवाई गई और रु0 18582/-रुपये का भुगतान किया

- 219 -

गया परन्तु उनकी दरें तथा अतिरिक्त मद विवरण सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई है । इन दरों के विश्लेषण तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अगले लेखा परीक्षा में बताई जाए ।

{6} इस निर्माण कार्य में डी०एन०आई०टी० में दर्शाई गई मदों की मात्रा से वास्तविक निष्पादित की गई मात्रा काफी अधिक है और यह दस प्रतिशत से बहुत अधिक है जिसकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित स्वीकृति अनिवार्य थी परन्तु समस्त विचलन विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया जो कि अनियमित है । अतः इस अनियमितता का लेखीकरण करके अनुपालना बताई जाए ।

{7} इस निर्माण कार्य का आबंटन पत्र, पत्र संख्या:एच०बी०ई० /ए-2{278}/87-6797-6802 दिनांक 1.12.1987 द्वारा जारी किया गया तथा ठेकेदार को कार्य पू रा करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया जिसके अनुसार यह निर्माण कार्य 15.12.1988 तक सम्पन्न होना चाहिए था । परन्तु ठेकेदार ने यह निर्माण कार्य 1.12.1990 को समाप्त किया जैसे कि माप पुस्तिका संख्या: एच०बी०ई०/692/87 के पृ० 67 से स्पष्ट है । अभिलेख के जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि पत्र संख्या:एच०बी०-15-अनुबन्ध-विस्त -एस०एन०एल०/मुक्त/90, दिनांक 9.11.90 द्वारा अवधि 15.12.88 से 28.2.90 तक समय में बढ़ौतरी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई, जबकि यह निर्माण कार्य ठेकेदार ने 1.12.1990 को समाप्त किया । इस प्रकार 28.2.1990 से 1.12.1990 तक समय में बढ़ौतरी की स्वीकृति नहीं दी गई । अतः विलम्ब से कार्य सम्पन्न करने के लिए ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जाए ।

{8.} वा०सं० 139 दिनांक 30.3.91 राशि रु० 18885/-40

निर्माण कार्य का नाम : स्ट्राबेरी हिल्स में वर्ग-1 के अन्तर्गत वर्ग-2 के आठ फ्लैटों का निर्माण कार्य उपशीर्ष:आर०बी० सी० में कोर्टयार्ड दीवार का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या : 7 वर्ष 1990-91.

-220-

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 18,885/-रुपये का श्री राजिन्द्र चौहान, ठेकेदार को दूसरे चल निर्माण कार्य बिल का भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य बिल के लेखा परीक्षण उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई जिनका ब्यौरा ~~निम्न/है~~ इस प्रकार है :-

{1} यह निर्माण कार्य पत्र संख्या:एम0बी0{डी0बी0}स्कूवेरो हिल्स/शिमला/89-खण्ड-5 दिनांक 18.1.91 द्वारा मु0 150284.50 रुपये में {डी0एन0आई0बी0 राशि मु0 94,510/-रुपये} श्री राजिन्द्र चौहान ठेकेदार को आबंटित किया गया । इसमें कुछ मदें विभागीय औचित्य से अधिक दरों पर स्वीकृत की गई । यह निविदा प्रतिशत प्रिमियम के आधार पर 59.01 प्रतिशत प्रीमियम पर स्वीकृत की गई जबकि विभागीय औचित्य 57.08 प्रतिशत ~~था~~ बनता था । अलग-अलग मदों में भी औचित्य से अधिक दरें स्वीकृत की गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है । अधिक दरोंपर कार्य आबंटित करने का औचित्य नियम सहित बतायाजाए ।

निर्माण कार्य की मद का नाम ।	डी0एन0आई0टी0 के आधार पर दरें {रु0}	विभागीय औचित्य के आधार पर दरें । {रु0}	ठेकेदार को स्वीकृत की गई दरें । {रु0}
मिट्टी कटिंग का निर्माण कार्य ।	14.30	23.05	40.00
मिट्टी के निर्माण कार्य में नींव की खुदाई ।	16.60	27.55	35.00
सीमेंट कंक्रीट निर्माण कार्य 1:2:4 {1सीमेंट,:2 रेत,:4 रोड़ी}			
1} नींव तथा फुटिंग में	560.50	952.15	1050.00
2} दीवारों में ।	570.90	954.90	1050.00
दीवारों के पीछे पत्थरों की भराई का निर्माण कार्य ।	108.45	186.95	250.00

{2} इसी प्रकार इस निर्माण कार्य में एम0 बी0 संख्या: एम0बी0ई0/735/88-पृष्ठ-18 में दर्शाई गई प्रविष्टियों के अनुसार

— 221 —

वास्तव में मिट्टी की कटिंग में 330.63 ~~घन~~ घ0मी0 कटाई की गई जबकि डी0एन0आई0टी0 के अनुसार 169.50 घ0मी0 कटाई की जानी थी निहित मात्रा से अधिक कटाई ~~का~~ के कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उसे लेखा परीक्षा में दिखाई जाए ।

§3§ इस निर्माण कार्य का व्यवहारिक व्यय अनुमान मु0 94,510/-रुपये के लिए पत्र संख्या:एच0बी0§डी0बी0§स्ट्राबेरी-हिल्स/शिमला/89-खण्ड-5 दिनांक 3.12.1990 द्वारा स्वीकृत किया गया तथा डी0एन0आई0टी0 स्वीकृत किए बिना ही निविदा बुलाई गई । यह कार्य मु0 1,50,284.50 रुपये में करने के लिए ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया परन्तु इसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है । यह अत्यन्त अनियमित है । इसकी तकनीकी स्वीकृति बनवाई जाए ।

5 ग(1 से 3)

§ख§ वाउचर सं0 137 दिनांक 30.3.91 राशि मु0 25134/-

निर्माण कार्य का नाम : रैकहाउस भवन का निर्माण कार्य ।
अनुबन्ध संख्या : 17, वर्ष 1989-90.

इस वाउचर द्वारा ठेकेदार श्री जे0 के0 निक्का को चौथे एवं चलत बिल का रुपये 25134/- का भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएँ एवं आपत्तियाँ पाई गई, जिन का ब्यौरा इस प्रकार से है :-

§1§ माप पुस्तिका संख्या:एच0बी0डी0/772/90, पृष्ठ-68 तथा 69 में दर्शाई गई प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित इण्डैंटों द्वारा ठेकेदार को सीमेंट और स्टील दिया गया । परन्तु ठेकेदार के खातों में §कन्ट्रैक्टर लेज़र§ प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी और न ही इन इण्डैंटों का निर्माण कार्य के लिए समायोजन किया गया है । यह बहुत ही आपत्तिजनक है ।

/क्योंकि ~~तथा~~ क्योंकि यह/निर्माण कार्य/जिसके व्यय विवरण सम्बन्धित ~~ले~~ विभाग को समय-समय पर सूचित किए जाते हैं जबकि इस मामले में ठेकेदार को दिए गए सामान की कीमत न डालकर निर्माण व्यय की ~~ठीक-ठीक~~ सही स्थिति नहीं दिखाई है । इतना ही नहीं इस राशि की ठेकेदार से वसूली करना बिल्कुल भी छूट सकती है ।

292

इन्डैंट संख्या	जो सामग्री दी गई	राशि [रु0]
9526 दिनांक 27.1.90	100 बोरी सीमेंट	7200.00
9527 दिनांक 29.1.90	100 बोरी सीमेंट	7200.00
9526 दिनांक 27.1.90	5.546 क्वींटल स्टील	4465.00
7105 दिनांक 27.3.90	0.887 " "	714.00
इन्डैंट नं0 नाप पुस्तिका में नहीं लिखा गया ।	1.720 " "	1385.00
9537 दिनांक 31.3.1991	0.7604 " "	612.00
	योग :-	21,576.00

[2] नाप पुस्तिका सं0 एम0बी0[0772/90 पृ0 68 में दर्शाई गई प्रविष्टियों के अनुसार पाया गया कि प्रतिभूति राशि जो प्रत्येक चलत बिलों से काटनी अनिवार्य है वह कम काटी गई है । इस चलत बिल तक कुल 3,00,895/-रुपये का कार्य निष्पादित किया गया तथा प्रतिभूति राशि मु0 22,545/-रुपये बनती है । ठेकेदार के इस चलत बिल से केवल मु0 2545/-रुपये प्रतिभूति के रूप काटे गए हैं और ठेकेदार के प्रतिभूति खाते में केवल 2545/-रु0 ही दर्ज किए गए है । मु0 20,000/-रु0 की राशि जो धरोहर राशि एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करवाई गई थी का समायोजन नहीं हो सकता है । वास्तव में एफ0डी0आर0 प्लैज्ड [गिरवी रखनी] होनी चाहिए थी तथा उसकी रखा अभीरक्षा भी मण्डल कार्यालय में ही होनी चाहिए । यह लेखा परीक्षा को कराई नहीं गई जिससे स्पष्ट है कि प्रतिभूति काटी ही नहीं गई है । निविदा पत्र के खण्ड । के अनुसार जो अनुबन्ध का भाग है में स्पष्ट है कि प्रतिभूति राशि चलत बिलों से काटी जायेगी । यदि अग्रिम धन रोकड़ के रूप में जमा करवाई गई हो उसी स्थिति में उसका समायोजन किया जा सकता है । मु0 20,000/-रुपये प्रतिभूति के रूप में कम काटना केवल ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है । तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन है । इस अनियमितता को तुरन्त सुधारा जाए ।

[3] मु0 765/-रु0 सीमेंट खाली बोरी के न काटने की चूक :

— 993 —

इस निर्माण कार्य में इस चौथे रनिंग चलत बिल तक माप/पुस्तिका संख्या:एम०बो०ई०:772/90 के अनुसार कुल 850 बोरी सीमेंट प्रयुक्त की गई है । तथा कटौती एवं वसूली भी की गई । परन्तु 90 प्रतिशत खाली बोरी वापिस न किए जाने की स्थिति में रुपये 1/- प्रति बोरी की दर से ठेकेदार से चलत बिल में कटौती करना अनिवार्य है जैसे अनुबन्ध के क्लॉज 42(ii) में विहित है । क्योंकि ठेकेदार ने खाली बोरियाँ लौटाई नहीं हैं । अतः रुपये 765/- इस बिल तक काटे जायें ।

5(ii) (छ) जेल भवन काण्डा के निर्माण कार्य विखण्डन करने पर मु0 3,19,297/-रुपये की हानि ।

निर्माण कार्य का नाम : केन्द्रीय जेल भवन काण्डा (जिला) का निर्माण कार्य । उपशीर्षक: आर० डी० 360 से 1088 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य । (डिपोजिट निर्माण कार्य) ।

अनुबन्ध संख्या: 5 5,1989-90 तथा 14,1989-90..

उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए दो अलग-अलग व्यय अनुमानों के आधार दो डी०एन०आई०टी० आर० डी० 360 से 870 तक तथा 870 से 1088 तक मु0 13,53,762/-रुपये तथा 6,49,343/-रुपये के लिए स्वीकृत की गई तथा इसी के आधार निविदा बुलाने के उपरान्त निम्नलिखित ठेकेदारों को ठेका दिया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

निर्माण कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुमान लागत या डी०एन० आई०टी० राशि	निविदा राशि	प्रीमियम 1987 की सूची पर ।
आर०डी० 360 से 870 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य	श्री राजिन्द्र चौहान	1353762/- रुपये	2149864.20 रुपये	58.80% ऊपर
आर०डी० 870 से 1088 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य ।	श्री के० सी० बिष्ट	649343/- रुपये	918409.85 रुपये	41.43% ऊपर

अभिलेख के जाँच पश्चात उपरान्त पाया गया कि ये दोनों निर्माण कार्य बीच में ही अनुबन्ध के खण्ड-13 के अन्तर्गत विखण्डित कर दिए गए । इन निर्माण कार्यों को विखण्डित करने का कोई ठोस कारण एवं प्रमाण नहीं है । केवल वैल विभाग से इस निक्षेप निर्माण कार्य के लिए बकाया निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए प्राप्य राशि प्राप्त नहीं हुई थी । जो कि 31.3.90 के बाद प्राप्त होनी थी ।और प्राप्त की गई राशि जिसके आधार पर इन निर्माण कार्यों के लिए एक इकट्ठी निविदा बुलाई गई और अधिक प्रीमियम दिया गया । हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड सरकारी उपक्रम है । और सरकार से ही वैल विभाग द्वारा बकाया कार्य के लिए देय राशि प्राप्त हुई है । इस कारण से यह निर्माण कार्य विखण्डित नहीं हो सकते थे क्योंकि अन्ततः घाटा तो हिमाचल सरकार को ही है । चाहे आवास बोर्ड हो तो या चाहे वैल विभाग हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निक्षेप निर्माण कार्य पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के लिए करता है और सरकार से समय समय पर निर्भर होता रहता है । यह कोई निजि कार्य तो नहीं था यह तो सरकार का कार्य था और न ही सरकार ने यह निर्माण कार्य बन्द करना था । वैसे भी हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड में जब से बोर्ड बना यह पहला मामला है । और भी कई निक्षेप निर्माण कार्यों के लिए इस प्रकार की बाधाएँ आई परन्तु कार्य पूर्ण कर दिया गया और समय समय पर राशि प्राप्त भी हुई और इस कारण अनुबन्ध विखण्डित नहीं किए गए । यह विखण्डन सक्षम प्राधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं सचिव हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के बिना स्वीकृति लिए ही किया गया जो कि अनियमित एवं बहुत ही आपत्तिजनक है । इस मनमानी कार्यवाही से सरकार को 319297/- रुपये की हानि उठानी पड़ी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी पर सुनिश्चित की जाए । इस हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	समय अवधि	अधिनिर्णय पत्र संख्या:	विखण्डन पत्र संख्या:

अगले पृष्ठ पर ....
....जारी

- 225 -

निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं०	समय अवधि	निविदा अधिकार पत्र संख्या	विखण्डन पत्र संख्या :
आर०डी० 360 से 870 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य	14-1989-90	एक वर्ष (5.12.89 से 4.12.90 तक)	एच०बी०ई०/ए 2(303)/89-5792-98 दि० 21.11.89	एच०बी०ई०/ए 2(303)/89-4456-59 11.12.90
आर०डी० 870 से 1080 तक मुख्य बाह्य सीमा दीवार का निर्माण कार्य	5-1989-90	एक वर्ष (15.6.89 से 14.6.90 तक)	एच०बी० ई०/ए-2(295)/89-2612-18 दि० 31.5.89	एच०बी०ई०/ए 2(295)/89-4452-55 11.12.90

यह विखण्डन एक वर्ष की अवधि जो अनुबन्ध में निर्माण कार्य पूर्ण करने की सीमा थी उसके बाद ही विखण्डित किया गया है । एक वर्ष बाद समय में बढ़ोतरी की अनुमति एवं स्वीकृति भी सक्षम प्राधिकारी से नहीं ली गई । इसके उपरान्त दोनों अनुबन्धों में जो निर्माण कार्य शेष था उसको निविदा बुलाई गई और अनुमान लागत एवं डी०एन०आई०टी० रु0 11,64,042/-रुपये दोबारा स्वीकृत की गई और दोबारा निविदा श्री राजिन्द्र सिंह चौहान ठेकेदार के पक्ष में निविदा राशि रु0 20,66,730.95 रुपये के लिए स्वीकृत की गई जो कि 77.55 प्रतिशत अधिक प्रीमियम पर था । जबकि पहले यह निर्माण कार्य 58.80 प्रतिशत तथा 41.43 प्रतिशत प्रीमियम पर थे इस प्रकार यह निर्माण कार्य दोबारा 13.75 + 36.12 = $\frac{54.97}{2}$ = 27.43 प्रतिशत अधिक प्रीमियम पर दिया गया जिससे रु0 3,19,297/-रुपये की ~~वित्तीय हानि~~ हानि हुई जिसे टाला जा सकता था । और जो अतिरिक्त खर्चा पल्लू में पड़ा है सरकार को बच सकता था । यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान लाया जाता है और सिफारिश की जाती है कि इस मामले की छानबीन करके जिम्मेवारी तय सुनिश्चित की जाए ।

(क) [illegible]

(ब) उप-खण्ड = II शिक्षा

वाउचर संख्या: 155 दिनांक 30.3.91 राशि रु0 30528.

निर्माण कार्य का नाम : हि0 प्र0 प्रशासनिक संस्थान भवन का (शिमला) का निर्माण कार्य ।
उपशीर्ष : भवन दीवार तथा अनाधिकृत हाल का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या : 13, वर्ष 1989-90..

इस निर्माण कार्य के लिए रु0 30528/-रुपये का भुगतान श्री प्रेम सिंह, ठेकेदार को इस तीसरे चालू बिल में किया गया । इस बिल के भुगतान में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं :-

(1) इस कार्य की निविदा पत्र संख्या:एस0पी0(डी0पी0)/केयरटेकर/शिमला/89-खण्ड-13 दिनांक 29.11.1989 द्वारा निविदा राशि रु0 11,89,698.19 के लिए श्री प्रेम सिंह ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृत की गई परन्तु सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति नहीं ली । केवल व्यावहारिक व्यय अनुमान पत्र ही स्वीकृत किया गया है । जो केवल निविदा बुलाने के लिए ही था जबकि निविदा की राशि रु0 11,89,698.19 रुपये थी । कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अगले लेखा परीक्षण में बताई जाए ।

(2) इस कार्य की [illegible] निविदाएँ दिनांक 17.10.1989 को खोली गई तथा सचिव एवं मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के साथ दिनांक 15.11.1989 के साथ हुई समझौते की बातचीत उपरान्त कार्य श्री प्रेम सिंह ठेकेदार के पक्ष में आवंटित किया गया । समझौता बातचीत के दौरान ठेकेदार ने सभी मदों के दर कम किए और साथ ही लिखित रूप में वचन दिया कि 31.3.1990 तक वह पाँच लाख मूल्य का निर्माण कार्य अवश्य पूरा करेगा । उसका वचनबद्ध पत्र अनुबन्ध में संलग्न है । परन्तु वास्तव में ठेकेदार ने 31.3.90 तक केवल 1,35,252.51 रुपये के मूल्य का निर्माण कार्य पूर्ण किया । लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि 5.00 लाख का निर्माण कार्य तो 31.3.1991 तक भी पूर्ण नहीं किया गया तथा 31.3.1991 तक 4,14,384.32 रुपये के मूल्य का निर्माण कार्य ही पूर्ण किया गया । इस प्रकार ठेकेदार अनुबन्ध की शर्तें पूर्ण करने में असफल रहा है । प्रतीत होता है कि केवल संविदा लेने के लिए ही

पर शर्त अनुबन्ध में दी है । अनुबन्ध में दी गई शर्त के अनुसार अनुबद्ध कार्य निष्पादित न करने की स्थिति में ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जाए ।

[3] गलत माप करने में रु0 4140.50 रुपये का ठेकेदार को अधिक भुगतान :-

लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित मदों का विस्तृत माप रिकार्ड करते समय अधिक मात्रायें निकाली गई जबकि वास्तव में कार्य मात्रा कम बनती है । [माप पुस्तिका सं0:788/90, पृष्ठ-41,42,43 तथा 30,31 तथा 25] यह माप दीवार की चौड़ाई के वास्तविक से अधिक लेने के कारण गलत हुआ है । इसका अनुसार टेस्ट चैक में ठीक कर दिया गया है/ था परन्तु विस्तृत माप ठीक नहीं किया गया जिसके कारण ठेकेदार को रु0 4140.50 रुपये का अधिक भुगतान हुआ जिसका ब्यौरा इस प्रकार से है । इस अधिक भुगतान की वसूली की जाए और अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए ।

क्रमांक	मद का नाम	माप पुस्तिका सं0 एवं पृ0 सं0	मात्रा जो निकाली गई ।	वास्तविक मात्रा	अधिक भुगतान मात्रा का।
1.	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंक्रीट [1:6:12] । सीमेंट:6 रेता,12 बजरी ।	788/90 पृ0 41 पृ0 30	4.10 घ0मी0	2.73 घ0मी0	1.37 घ0मी0
2.	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 । सीमेंट, :2 रेता, :4 बजरी ।	788/90 पृ0 41 पृ0 30	2.97 घ0मी0	2.86 घ0मी0	0.11 "
3.	रेण्डम रब्बल मैसनरी/ पोलिगनल रब्बल मैसनरी [अनकोर्स्ड ब्रोट टू कोर्सिज] स्वीकृत सख्त पत्थर में ।	788/90 पृ0 43 पृ0 31	17.05 घ0मी0	11.87 घ0मी0	5.18 "
4.	---यथोपरि---	788/90 पृ0 43 पृ0 32	7.72 घ0मी0	4.68 घ0मी0	3.04 "

अधिक भुगतान की गई राशि :-

मद क्रमांक 1. 1.37 घ0मी0 400/-रु0 प्रति घ0मी0 की दर से = रु0 548.00 रुपये
मद क्रमांक 2. 0.11 घ0मी0 900/-रु0 प्रति घ0मी0 की दर से = रु0 99.00 "
मद क्रमांक 3. 5.18 घ0मी0 425/-रु0 प्रति घ0मी0 की दर से = रु02201.50 "
मद क्रमांक 4. 3.04 घ0मी0 425/- रु0 प्रति घ0मी0 की दर से =रु0 1292.00

योग :- रु0 4140.50 "

[4] सीमेंट जारी करने में अनियमितताएँ :-
रु0 1155/-रुपये की कम वसूली :-

माप पुस्तिका संख्या: 788/90 के पृष्ठ-47 में की गई प्रविष्टियों का जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इन्डेंट संख्या 7382 दिनांक 24.4.90 के द्वारा 5 बोरी सीमेंट इस निर्माण कार्य के लिए जारी की गई परन्तु माप पुस्तिका में घटाकर दूसरे निर्माण कार्य को स्थानान्तरण कराया गया जबकि पाँच बोरी जमा होनी थी। इसी प्रकार इन्डेंट सं0: 7398 दिनांक शून्य द्वारा 30 बोरी दूसरे निर्माण कार्य को स्थानान्तरण किया गया परन्तु माप पुस्तिका में 36 बोरी की प्रविष्टि की गई। इस प्रकार इस निर्माण कार्य में 16 बोरी सीमेंट की कम प्रविष्टि की गई जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। 16 बोरी सीमेंट का मूल्य 72/-रु0 की दर से 16 × 72/- = 1152 रुपये है जिसकी वसूली शीघ्र की जाए।

एम0 बी0 सं0: 788/90 पृष्ठ-47 में कुल बोरी जारी की गई :-	1150 बोरी
इन्डेंट सं0 7382 दिनांक 24.4.90 द्वारा[+] जारी की गई :-	5 बोरी
योग	:-1155 बोरियां
इन्डेंट सं0 7382 दिनांक शून्य दूसरे निर्माण कार्य को स्थानान्तरण किए गए।	[-] 30 बोरी
शेष /-	1125 बोरियां
माप पुस्तिका में दिखाए गए	1109."
माप पुस्तिका में कम अन्तर दिखाए गए :-	16 बोरी।

-229-

इसी प्रकार इस निर्माण कार्य के लिए इन्डेंट सं0 6265 दिनांक शून्य द्वारा 200 बोरी सीमेंट जारी किया गया जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका के पृ0 47 पर है परन्तु इसकी प्रविष्टि ठेकेदार के खाते में नहीं की गई है और न ही इन्डेंट दिखाया गया । इस चूक से ठेकेदार से वसूली छूट सकती है । इस चूक का लेखांकन किया जाए ।

[5] अतिरिक्त मद के निष्पादन में रु0 6360/-रु0 का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका सं0 788/90 पृ0 44 की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि बचाव दीवार के पीछे पत्थर की भराई की मद का निर्माण कार्य अतिरिक्त मद के रूप में करवाया गया तथा इस अतिरिक्त मद की कुल मात्रा 83.31 घ0मीटर बनी । अतिरिक्त मद की दरें अनुबन्ध के खण्ड 12[111] के अन्तर्गत 151.35 रु0 प्रति घ0मीटर की दर से स्वीकृत करके भुगतान किया गया । परन्तु विस्तृत जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि भराई के पत्थर बोर्ड ने ही ठेकेदार को रु0 54.75 प्रति घ0मीटर की दर से बेचे जैसा कि इसी माप पुस्तिका के पृ0 46 में स्पष्ट है । और वही पत्थर इस अतिरिक्त मद के कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए । अतः रु0 151.35 रु0 की दर से भुगतान करना बहुत ही अधिक है । तथा दर विश्लेषण भी नहीं बनाये गए । ठेकेदार को जब पत्थर कार्य स्थल पर ही रु0 54.75 प्रति घ0मीटर की दर से उपलब्ध करवाये गए [क्योंकि पत्थर निर्माण स्थल पर ही निकले हैं] तो उसे इस दर के विश्लेषण में पत्थरों की कीमत 54.75 रुपये प्रतिघ0मीटर लगाकर दर बनाने देने चाहिए थे न कि निविदित दरों पर । लेखा परीक्षा के अनुसार ठेकेदार को दीवार के पीछे पत्थरों की भराई कराने के लिए लेबर रेट, समानान्तर मद का प्रीमियम तथा रुपये 54.75 प्रति घ0मी0 पत्थरों की कीमत लगाकर 75/-रु0 प्रति घ0मी0 की दर से भुगतान करना चाहिए था जबकि रुपये 151.35 की दर से भुगतान करके ठेकेदार को 6360.70 रुपये की अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली करके विवरण इस विभाग को सूचित किए जाएँ । 75/-रु0 प्रति घ0मीटर का आकलन इस प्रकार किया गया है :-

— 920 —

दर जो दी गई प्रति घनमीटर	दर दी जानी चाहिए थी प्रति घनमीटर	
एस०ओ०एस०आर०-1987 मद 11.11 [33] पूर्ण रेट	108.45 लेबर रेट	14.50 रुपये
+ समस्त प्रीमियम जो अनुबन्ध में है 34.56 प्रतिशत की दर से	42.90 रुपये	5.75 "
योग :-	151.35 रुपये	20.25 रुपये
जिस दर पर पत्थर विभागीय तौर पर निर्माण कार्य के स्थल पर जारी किए गए ।	[+]	54.75 "
	कुल :-	75.00 "

दर जो अधिक निकाली गई = [151.35 - 75 = 76.35 रुपये]

अधिक भुगतान :- 83.31 घनमी०, 76.35 रुपये प्रति घनमी० की दर से :- मु० 6360.70 रुपये

[6] मु० 7245/-रुपये की राशि सुरक्षित अग्रिम की कमय पर कटौती करने में चूक :-

ठेकेदार के लेजर आलेखों के पृ० 4 की प्रविष्टि की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि मु० 7245/-रुपये की राशि सुरक्षित अग्रिम के रूप में जो मार्च,1990 को पत्थरों के लाने के लिए दी गई थी वह कटौती एवं वसूली के लिए लम्बित पड़ी थी । नियमानुसार सुरक्षित अग्रिम राशि की वसूली अगले चालू बिल में ~~की~~ करनी अनिवार्य था । बिलों के अनुसार पत्थर भी प्रयोग में लाए गए हैं तथा मद का माप भी लिया जा चुका है और भुगतान कर दिया है । परन्तु सुरक्षित अग्रिम की वसूली नहीं की गई है । ~~मोबिलाइजेशन~~ मोबिलाइजेशन अग्रिम की भाँति इस अग्रिम पर [जितने दिन बिल में भुगतान पश्चात काटी नहीं गई] साधारण ब्याज ठेकेदार से काटा जाए तथा विवरण लेखा परीक्षा में बताए जाएँ ।

[7] मु०991/-रुपये सीमेंट खाली बोरी के न काटने में चूक :-

इस निर्माण कार्य में इस चालू बिल तक माप पुस्तिका 788/90 पृ०45 के अनुसार 1090 बोरी सीमेंट प्रयोग की गई तथा कटौती एवं वसूली

-231-

की गई । अनुबन्ध अनुसार ठेकेदार को प्रयुक्त सीमेंट के 90 प्रतिशत खाली बोरियाँ लौटानी / बोरियाँ एकत्रित करने वाले एजेंट को देनी चाहिए थी जो नहीं लौटाई गई । अतः रुपये 1/- प्रति बोरी की दर से रुपये 981 /- की ठेकेदार से कटौती की जाए ।

(ख) वाउचर सं0 159 दिनांक 30.3.91 राशि रु0 21688/-00

निर्माण कार्य का नाम : हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संस्थान, भवन में पी0ई0बी0 होस्टल का Type निर्माण कार्य । उपरोक्त आन्तरिक जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संस्थापन को उपलब्ध करने का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या :- : 7, वर्ष 1988-89..

इस निर्माण कार्य के लिए रु0 21688/-रुपये का भुगतान श्री प्रेम सिंह ठेकेदार को पाँचवे एवं अन्तिम बिल में किया गया । इस बिल में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं :-

(1) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया है कि इस निर्माण कार्य के लिए रु0 4,32,032/-रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (पत्र संख्या:पर(तकनीकी एवं एफ0ई0(बी)17)-1/86, दिनांक 2.1.88 अपरन्तु माप पुस्तिका संख्या: 758/90 पृ0 77 के अनुसार इ कुल खर्च रु0 4,64,991.86 है । तदानुसार संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई । इसी प्रकार तकनीकी स्वीकृति 4,22,900/- की थी (पत्र सं0 एच0बी0 (डी0बी0)भियतान/85-खण्ड-16 दिनांक 18.7.88) । वास्तविक खर्चा रुपये 4,64,991.86 रुपये होने की दशा में संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित किया जाए ।

(2) इस निर्माण कार्य में रु0 12383.97 रुपये की राशि की दर सूचि के बाहर की अतिरिक्त मदें निष्पादित करवाई गई । परन्तु इनके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गई है जिसे प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए ।

-932-

(3) माप पुस्तिका संख्या:785/90 पृष्ठ-26 की प्रविष्टियों की जाँच पश्चात उपरान्त पाया गया कि प्रोपार्टीशन एण्ड फिक्सिंग ग्राम फुल बेव वाल्व 15 एमएम वाईज की मद में एक नग लगाया गया परन्तु माप पुस्तिका संख्या:758/90 पृ0 63 में जहाँ सारा वार बनाया गया है 25 एमएम की मद में जोड़ दिया गया और भुगतान रु0 150/-रुपये प्रति नग के हिसाब से किया गया जबकि इस मद का ~~ठेकेदार/~~ अनुबन्ध अनुसार दर रु0 80/-रु0 प्रति नग था। इस प्रकार इस मद में रु0 70/-रु0 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली की जाए

(अ) वाउचर संख्या:91 दिनांक 26.04.90 राशि रु0 5491.00

रु0 5491/-रु0 का भुगतान श्री शोभा राम ठेकेदार को निर्माण कार्य आदेश संख्या: 64 वर्ष 1989-90 अनुसार सामाजिक आवास योजना, बस्ति संजौली में मुख्य जी0 आई0 पाईप लाईन के बदलने के लिए किया गया। इस निर्माण कार्य में एम0 बी0 सं0 755/89 पृ0 71 और 72 में 95.15 मीटर लम्बी 80 एमएम व्यास की पाईप बदली गई तथा इसके स्थान पर 114.60 मीटर लम्बी 65 एमएम व्यास की जी0 आई0 ~~ग्रेडों~~ पाईप कुछ अन्य अतिरिक्त मिश्रित वस्तुओं के साथ बिछाई गई। परन्तु पुरानी एवं नई पाईपों की एम0 ए0 एस0 रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दिखाई नहीं गई। इस चूक का लेखांकन किया जाए।

(ट) वाउचर संख्या:47 दिनांक 11.12.1990 राशि 8869/-रु0

रु0 8869/-रु0 का भुगतान श्री मनी राम ठेकेदार को निर्माण कार्य आदेश संख्या:24 वर्ष 1990-91 अनुसार सामाजिक आवास कालोनी संजौली में उपगम सड़क के वार्षिक मुरम्मत के कार्य के लिए किया गया। माप पुस्तिका 760/89 के पृ0 87 की प्रविष्टियों की जाँच पश्चात उपरान्त पाया गया कि मलबे के हटाने के कार्य में आर0डी0 630 से 635 तक लम्बाई 15 मीटर नापी गई जबकि 5 मीटर लम्बाई स्पष्ट है जिसके फलस्वरूप इस कार्य में 7.70 घन0मी0 मात्रा का अधिक भुगतान हुआ है इसकी कुल कीमत रु0 108/-रुपये बनती है। इस गलत माप का ब्यौरा इस प्रकार है :-

933

आर०डी० केन्द्र बिन्दु से	क्रॉस सैक्शन नींव से	लम्बाई	मात्रा	मात्रा मापी गई ।	अधिक माप
630 635	0.50 व०मी० 1.05 " "	0.77 व०मी० 5 मी०	3.85 व०मी०	11.55 व०मी०	7.70 व०मी०

अधिक भुगतान :

प्रीमियम 58.19 % | 7.70 व०मी० @ 8.85 रु० की दर से 68.15 रुपये

→ 39.65 "

योग :- 107.80 "

इस राशि की कटौती लेखा परीक्षा के बताए जाने पर कर ली गई है ।

(ख) - वाउचर सं० 56 दिनांक 11.12.90 राशि रु० 19525/-

निर्माण कार्य का नाम : दयो में नियन्त्रित विपणन कम्पलैक्स का निर्माण कार्य उपशीर्ष "16 नम्बर दुकानों एवं संलग्न कार्यालय का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: : 16 वर्ष 1985-86..

इस निर्माण कार्य के लिए रु० 19525/-रुपये का भुगतान श्री रविन्द्र चौहान ठेकेदार को इस उन्नीसवें एवं अन्तिम बिल में किया गया । इस निर्माण कार्य बिल की लेखा परीक्षा उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई जिन का ब्यौरा इस प्रकार है

(1) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य के लिए रु० 21,95,000/-रुपये के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति थी परन्तु माप पुस्तिका संख्या: 757/89 पृ० 67 की प्रविष्टि के अनुसार कुल खर्च रु० 19,79,398.04 रुपये हुआ । तदानुसार यह पाया गया कि इस निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई । यहाँ तक व्यवहारिक दरें क्या अनुमान एवं डी०एन०आई०टी० भी स्वीकृत नहीं करवाई गई जो कि अनियमित है इसकी औपचारिकता पूरी की जाए ।

[illegible]

(2) माप पुस्तिका 757/89 पृष्ठ-72 की प्रविष्टियों की जाँच पश्चात उपरान्त पाया गया कि इस निर्माण कार्य को कुल 4094 बोरी सीमेंट जारी की गई परन्तु ठेकेदार के खाते में 200 बोरी सीमेंट की कम प्रविष्टि की गई है । निर्माण कार्य को भी 200 बोरी सीमेंट की कीमत कम पड़ी है । ठेकेदार से रेट तो वसूली कर ली गई है परन्तु उसके खाते में 200 बोरी का इन्डेंट डेबिट नहीं हुआ है । लेखा परीक्षण के दौरान यह भी पाया गया है कि इन्डेंट संख्या: 6676 दिनांक 16.6.83 द्वारा 200 बोरी सीमेंट ठेकेदार को जारी की गई थी परन्तु इस इन्डेंट का समायोजन नहीं किया गया क्योंकि यह इन्डेंट खो गया बताया गया है जैसे कि सहायक एवं मण्डल लेखाकार के कार्यालय नोट में लिखा गया है और डुप्लीकेट इन्डेंट जारी करने की सिफारिश की गई जो नियमों के प्रतिकूल है । 200 बोरी सीमेंट की कीमत रु0 200×58 = 11600/-रुपये जो कि इश्यू रेट से निर्माण कार्य को खर्च दिखाना था और इसका व्यय डिपोजिट को जाना था । इस चूक के कारण रु0 11600/-रुपये की राशि अभी तक सम्बन्धित विभाग/ संस्था को प्राप्त नहीं हुई है । और न ही राशि प्राप्त हुई है । यदि यह 200 बोरी सीमेंट ठेकेदार को जारी ही नहीं की गई थी तो बताया जाए कि सीमेंट कहाँ गया जैसे कि इन्डेंट भी अभिलेख में सुरक्षित नहीं है । इस कार्य के लिए 4025 बोरी (200 जारी को सम्मिलित करके) सीमेंट प्रयुक्त हुआ है । परन्तु वितरण तालिका अनुसार ठेकेदार को 4094 बोरी सीमेंट वितरित हुआ है । 200 बोरी का इन्डेंट दिनांक 16.6.83 को जो गुम हुआ बताया गया है यदि ठेकेदार ने वास्तव में प्राप्त नहीं किया है तो प्रयुक्त सीमेंट और वितरित सीमेंट की [illegible] + विभक्ता ठीक नहीं बैठती है क्योंकि 3894 बोरी वितरण के विरुद्ध 4025 बोरी प्रयोग है । जिससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में कम सीमेंट लगाकर घटिया कार्य हुआ है (4025 × [illegible] = 121, 4025-121=3904) अर्थात 3904 बोरी/[illegible]/ कम सीमेंट का प्रयोग 10 बोरी कम है जिसकी [illegible]

वसूली हुगुने दरों पर की जानी अनिवार्य थी जैसे कि अनुबन्ध के खण्ड 42-[2] में स्पष्ट है कि घटिया कार्य के लिए क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने दरों पर सीमेंट की वसूली अनिवार्य है । इस प्रकार 10 बोरी के मु0 58 रु0 प्रति बोरी के हिसाब से 580/-रुपये कम काटे गए हैं । सारे मामले का अध्ययन करके सही स्थिति से अवगत कराया जाए ।

[3] विचलन तालिका के अनुसार इस निर्माण कार्य में मु0 5,72,679.35 रुपये का समस्त विचलन हुआ है । यह विचलन अतिरिक्त मदों और प्रतिस्थानी मदों के निष्पादन के कारण हुआ है । और अधिशासी अभियन्ता इस राशि की स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम नहीं है । अतः कारणों सहित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके इस विभाग को सूचित किया जाए ।

[4] <u>वाउचर संख्या:141 दिनांक 30.3.91 राशि 22120.00</u>

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवासीय कालोनी [सोलो का निर्माण कार्य [उपशीर्ष आन्तरिक जल आपूर्ति एवं शौचीय प्रकरण संस्थापन का कार्य ।

अनुबन्ध संख्या : 2, वर्ष 1987-88..

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 22120/-रुपये का मै0 विकास इन्टरप्राईसिंग को [ग्यारहवें एवं अन्तिम बिल से] भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य बिल में निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई जिन का ब्यौरा इस प्रकार है :-

[1] निम्नलिखित अलग-अलग चार व्यय अनुमान पर मु0 5,73,590/-रुपये की राशि के लिए तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत किए गए । परन्तु कार्य निष्पादन में कुल व्यय रुपये 8,42,708.61 रुपये हुआ जो स्वीकृत अनुमानों से 46.92 प्रतिशत अधिक था । इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की संशोधित स्वीकृति नहीं ली गई है इन व्यय अनुमानों के लिए जो निविदा बुलाई गई जिसकी कुल डी0एन0आई0टी0 राशि मु0 3,20,740.00 रुपये थी ।

936

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	कुल खर्च रुपये	तकनीकी स्वीकृति से अधिक खर्च ।	स्वीकृति पत्र संख्या:
1.	आन्तरिक आपूर्ति एवं स्वच्छता संस्थापन का 72 नं० एन०आई०जी०-II फ्लैट के लिए उपलब्ध करवाना ।	180295/-	332894.83	152599.83	नं० एच०बी० [डी०बी०]/ सं०जी०/86-खण्ड-5 दिनांक 26.2.86.
2.	—यथोपरि— 72 नं० एच०आई०जी० फ्लैटों के लिए ।	293305/-	369348.37	76043.37	—यथोपरि— दि० 29.4.86
3.	सामाजिक आवास कालौनी सं०जी० के लिए बाह्य मल प्रवाह योजना का उपलब्ध करवाना ।	82860/-	117390.66	34530.66	सं० एच०बी०ई० [डी०बी०]/ सामाजिक सं०जी० 85-702-05 दि० 2.1.86.
4.	सामाजिक आवास कालौनी सं०जी० के लिए बाह्य जल आपूर्ति योजना का उपलब्ध करवाना । [चरण-II में]	17130/-	23074.75	5944.75	सं० एच०बी०ई० [डी०बी०] सामाजिक सं०जी० -85-7466-69- दि० 29.1.86.
	योग :-	573590/-	842708.61	269118.61 रुपये	

विचलन तालिका के अनुसार इस निर्माण कार्य में निविदित राशि मु0 5,54,013.25 रुपये पर मु0 2,88,695.36 रु0 का कार्यान्वयन हुआ है । परन्तु विचलन तालिका का सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई है जिसकी स्वीकृति प्राप्त की जाए ।

[3] इस निर्माण कार्य में मु0 1,30,200.33 रुपये की अतिरिक्त मदें निष्पादित करवाई गई है परन्तु सक्षम प्राधिकारी से इसकी स्वीकृति नहीं ली गई है ।

[4] माप पुस्तिका सं0 753/89 पृ0 64 की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इस अन्तिम निर्माण कार्य बिल में मु0 8530/-रु0 की राशि ठेकेदार को निर्मुक्त की गई है जो कि पहले पाईपों के घटिया कार्य के लिए रोक रखी थी । यह राशि

237

निम्नलिखित निर्माण कार्य चालू बिलों में रोकी गई थी ।

तीसरे चालू बिल में	रु0 2500.00 रु0
चौथे ---"---	रु0 500.00 "
पाँचवे ---""""	रु0 700.00 "
छठे ---"---	रु0 1500.00 "
सातवें ---"---	रु0 2000.00 "
आठवें ---"---	रु0 1000.00 "
नवें ---"---	रु0 300.00 "
कुल :-	रु0 8500.00 "

लेखा परीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि यह राशि पहले घटिया जी0 आई0 पाईप तथा सिस्टर्न फिट करने हेतु रोकी थी जैसे कि प्रभारी अभियन्ता की माप पुस्तिका में टिप्पणी है // ठेकेदार को पत्र सं0 एच0पी0/एम0ई0-11/बंजौली-परग-11/475-77 दिनांक 26.7.90 द्वारा नोटिस जारी किया गया परन्तु उसकी कोई अनुपालना नहीं की गई । यह निर्माण कार्य 15.4.1990 को पूर्ण हो चुका था जैसे कि अन्तिम बिल में, समय बढ़ोतरी/पत्र सं0 एच0पी0-15 संविदा-मास्का/एस0एम0एस0 दिनांक 4.12.90 के अनुसार स्पष्ट है यह राशि इस अन्तिम बिल में ठेकेदार को प्रभारी अभियन्ता की बिना सिफारिश पत्र के दिया दी गई है । माप पुस्तिका एवं दूसरे सम्बन्धित अभिलेख जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि प्रभारी अभियन्ता ने न ही कोई सर्टीफिकेट रिकार्ड किया गया है और न ही कोई अलग से घटिया कार्य को ठेकेदार द्वारा ठीक करवाने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । अत: जब तक ठेकेदार दोषपूर्ण कार्य को सुधार नहीं देता है तब तक रोकी हुई राशि का भुगतान उचित नहीं था । अत: कोई रेखांकित प्रमाण नहीं दिया गया जिससे सिद्ध हो सके कि घटिया पाईप बदलकर ठीक पाईप फिट कर दी गई हैं । अत: रुपये 8500/- रु0 का गलत भुगतान हुआ है जिसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए ।

८ स्वीकृति

(c) वाउचर सं0 22 दिनांक 6.3.90 राशि रु0 15471/-रु0

- 938 -

निर्माण कार्य का नाम : पुलिस आवास कालोनी, भराड़ी का निर्माण कार्य [उपशीर्ष:24 नम्बर श्रेणी-II मकानों का निर्माण कार्य]

अनुबन्ध संख्या: : 4, वर्ष 1982-83.

इस निर्माण कार्य के लिए रु0 15,471/-रुपये का भुगतान श्री अजय कुमार सूद, ठेकेदार को पच्चीसवें एवं अन्तिम बिल में किया गया है । इस निर्माण कार्य बिल के लेखा परीक्षण उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमितताऐं पाई गई गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

[1] इस निर्माण कार्य के लिए रु0 11,91,696/-रुपये के लिए प्रशासकीयएवं वित्तीय स्वीकृति थी जो कि अवर सचिव [गृह], हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या:गृह[ए][एफ]5[1/80 दिनांक 30.10.81 द्वारा कुल राशि रु0 15,49,225/-रुपये[सैनिटरी और विद्युतिकरण लागत सहित] सूचित की । केवल सिविल कार्य पर ही रुपये 15,97,905.59 व्यय हुए । अत: इस कार्य की संशोधित स्वीकृति [प्रशासनिक एवं तकनीकी] प्राप्त की जाए ।

[2] अतिरिक्त मद में रु0 24131.30 रुपये का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका सं0: 740/88 पृष्ठ-16 की प्रविष्टि की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि काटी गई मिट्टी की ढुलान मद का अतिरिक्त मद के रूप भुगतान किया गया जिसमें 40 मीटर सिरभार द्वारा तथा उसके उपरान्त । किलोमीटर यान्त्रिक परिवहन द्वारा कार्यान्वयन किया गया । कुल 721.83 घनमीटर मिट्टी का भुगतान किया और इसकी भुगतान दर नॉन शडयूल मद बनाकर रुपये 58.50 प्रति घनमीटर की निकाला गया । यह मद औचित्य से बहुत अधिक है । इस मद की दरें नॉन शडयूल पर निकालना नियमों के प्रतिकूल है क्योंकि इसकी दर अनुबन्धों के खण्ड 12[L] के अनुसार निकाली चाहिए थी । लेखा परीक्षा के अनुसार दर निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए था :-

ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में समानान्तर मद, नींव में कटाई के लिए दी गई दर :- = 17.80 रुपये

7% कमतर रिबेट के रूप में = 1.25 "

कमी :- = 16.55 "

उपरोक्त मद को अनुकूल-एस०आर०-1979 के अनुसार दर =

मद 7.4 $\frac{(जो + सी)}{2} = \frac{(5 + 11.20)}{2}$ = 8.10 रु० प्रति घ०मीटर ।

अनुकूल एस०आर० -1979 के अनुसार कार्यान्वयन की गई मद का, मिट्टी की ढुलाई 40 मीटर मजदूरों से तथा 1 किलोमीटर यान्त्रिक परिवहन से की दर :-

40 मीटर मजदूरों से मद 6.1.(a)(ii)(1) एस०आर० 1979 । कि०मी० यान्त्रिक परिवहन से लोडिंग तथा अनलोडिंग के साथ मद-6.11.(ए)(1) एस.आर.1979.	1.85रु० प्रति घ०मीटर । 10.40रु० प्रति घ०मीटर ।
योग :-	12.25 रु० प्रति घ०मीटर ।

ठेकेदार को भुगतान योग्य दर = $\frac{16.55}{8.10}$ x= 12.25

= 25.02 = 25/-रुपये केवल

ठेकेदार को दी गई दर :- रु० 58.50 रुपये

अधिक दर जो दी गई :- रु० 58.50 - 25.00 = 33.50 रुपये

इस मद में कुल कार्यान्वयन की गई मात्रा = 721.83 घ०मी०

अधिक भुगतान :- 721.83 × 33.50 = 24,181.30 रुपये

(4) इसी प्रकार इसी मद में माप पुस्तिका 619/85 पृष्ठ-18 की प्रविष्टियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि 77.50 घ०मी० मात्रा इक्कीसवें चालू बिल में कम कर दी गई थी । और भुगतान रोक दिया गया था क्योंकि माप पुस्तिका में लिखा था कि अधिशासी अभियन्ता ने चाहा है कि 77.50 घ०मी० मात्रा का भुगतान रोक दिया जाए तथा वास्तविक माप की प्रविष्टियों में लिखा था कि ("As the cut-sres have been made on assumptions ")

परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि माप पुस्तिका 740/88 के पृ.16 के अनुसार 77.50 घ०मी० मात्रा का इस अन्तिम बिल में पूर्व रोकने के कारणों को स्पष्ट किए बिना ही भुगतान कर दिया गया और कुल 4533.75 रु० का भुगतान (58.50 रु० की दर से 77.50 घ०मी० के लिए) किया गया जो कि गलत था । ऐसा प्रतीत होता है कि 77.50 घ०मीटर मात्रा का निष्पादन हुआ ही नहीं है । इसीलिए पहले मात्रा कम कर दी गई थी । अन्तिम बिल में भुगतान के समय कोई रिपोर्ट नहीं

लिखकर ता जखा का तमा...ट के लिए तथा पृथक रूप में

— 240 —

ली गई और यह मण्डल कार्यालय में ही मात्रा में जोड़कर भुगतान किया गया है जबकि अगर भुगतान करना होता तो उपमण्डल से कार्रवाई होनी थी । अत: मु0 4833.75 रुपये की वसूली की जाए और अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए ।

[5] लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विचलन तालिका के अनुसार इस निर्माण कार्य में मु0 4,88,668.83 रुपये का कुल विचलन [मु0 1,40,266.78 रुपये के लिए अतिरिक्त मदें [अप्रूव्ड रेट पर] मु0 77523.75 रुपये के लिए पूरक मदें [अप्रूव्ड रेट पर] तथा मु0 49,250/-रुपये के लिए अतिरिक्त मदें [नॉन अप्रूव्ड रेट पर] हुआ है परन्तु समस्त विचलन तालिका सभी मदों के साथ तथा अलग-अलग तौर पर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई हैं जो कि अनियमित है । यह अन्तिम कार्यविल है अत: इसकी भुगतान सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूरे किए बिना नहीं होना चाहिए था । जिन्हें अब पूरा किया जाए ।

[6] अन्तिम बिल में ठेकेदार के हस्ताक्षर भी नहीं है जिसके कारण कभी भी ठेकेदार किसी भुगतान या मद के दर का विवाद कर सकता है ।

....

लगातार पृष्ठ नं0...42.....

....

उप नगर सोलन

241

ग) अनुबन्ध संख्या 6 वर्ष 1990-91

सामाजिक आवास बस्ती सोलन चरण-II में ब्लाक न0 3 तथा 4 एम.आई.जी. फ्लैट के पीछे रिटेनिंग दीवार का निर्माण कार्य भी कुल मुख्य पन्त ठेकेदार को आबंटित किया गया इस रिटेनिंग दीवार के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में कोई प्रावधान नहीं था । स्वीकृति पत्र सं0 एच0एस0जी0(7)-2/79 दिनांक 24.4.86 राशि रु0 1,20,66,894 द्वारा प्रदान की गई थी इसी प्रकार तकनीकी स्वीकृति भी नहीं ली गई । अतः इस निर्माण कार्य के लिये संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य था । इस अनियमितता का निपटारा शीघ्र ~~कर~~/ किया जाये ।

ड) निर्माण कार्य आदेश सं0 16 वर्ष 1990-91 :-

सामाजिक आवास बस्ती सोलन में एम.आई.जी. फ्लैटों के बगल में जल निकासी नाली के निर्माण कार्य का व्यावहारिक व्यय अनुमान पत्र सं0 एच.बी.डी.पी./सामाजिक/सोलन-2941-42 दिनांक 26.8.90 द्वारा रु0 39,833/- रुपये के लिए ~~स्वीकृत~~ स्वीकृति नहीं ली गई । यह निर्माण कार्य नियमानुसार निविदा के आधार पर ~~नहीं~~ नहीं करवाया गया ~~~~ परन्तु छोटे-2 निर्माण कार्य आदेशों में तोड़कर करवाया गया ताकि अधिशासी अभियन्ता के कार्य एवं ~~वित्तीय~~ वित्तीय शक्तियों की सीमा के अन्तर्गत रह सके इस सारे कार्य को एक कार्य मानकर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये

घ) वा0सं0 76 दिनांक 20.3.91
राशि रु0 65999/- रुपये

निर्माण कार्य का नाम	सामाजिक आवास बस्ती सोलन, 24 न0 एम.आई.जी. फ्लैटों का निर्माण कार्य ।
अनुबन्ध संख्या	11 वर्ष 1989-90

...2

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 65,999 रुपये का भुगतान मै0 किशन लाल एण्ड ब्रदर्स ठेकेदार को दसवें चलत बिल में किया गया इस निर्माण कार्य बिल की लेखा परीक्षा उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमिततायें पाई गई जिनका ब्योरा इस प्रकार है :-

§1§ माप पुस्तिका सं0 767/89 पृष्ठ 66 की ~~प्रविष्टियों~~ प्रतिलिपियों की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि 170.06 क्विंटल स्टील लेबर रेट पर उपयोग किया दिखाया गया परन्तु वास्तव में माप पुस्तिका 767/89 पृष्ठ 59 की प्रविष्टियों के अनुसार 169.65 क्विंटल स्टील प्रयुक्त हुआ है। अतः 0.41 क्विंटल स्टील अधिक उपयोग किया दिखाया गया जिसका लेखांकन ~~किया~~ निवारण किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी से मार्किट रेट से वसूली की जाए।

§2§ माप पुस्तिका 767/89 पृष्ठ-67

इस बिल में आयकर पर अधिभार मु0 128 रुपये काटा गया है जबकि मु0 192 रुपये काटने चाहिए थे। इस प्रकार आयकर अधिभार के मु0 64 रुपये कम काटे गए हैं जिन्हें अब काटकर सरकारी कोष में जमा करवाया जाये

द§ वा0 सं0 110 दिनांक 25.3.91 राशि मु0 1,16,716.00

निर्माण कार्य का नाम	उपभोक्ता द्वारा अंशदेय पोषित योजना के अन्तर्गत 24 न0 श्रेणी-2 फ्लैटों का निर्माण कार्य।
अनुबन्ध संख्या	12 वर्ष, 1989-90

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 1,16,716 रु0 की राशि का भुगतान मै0 लाडली कन्स्ट्रक्शन निगम, पंचकुला को छठे चलत बिल में किया गया। इस निर्माण कार्य बिल के लेखा परीक्षा उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं अनियमिततायें पाई गई जिनका ब्योरा इस प्रकार है।

§1§ मु0 2367 रु0 सीमेंट खाली बोरी के न काटने में चूक।

इस निर्माण कार्य में इस चलत बिल तक §माप पुस्तिका संख्या: 764/89 पृष्ठ 69 की प्रविष्टियों के अनुसार 2630 बोरे सीमेंट प्रयुक्त की गई थी तथा कटौती एवं वसूली की गई थी।

...

प्रयुक्त का लेखा का तथा मदा के लिए तथा पुस्तक रूप में

अनुबन्धीय शर्तों अनुसार ठेकेदार को प्रयुक्त सीमेंट की 90% खाली बोरियां विभाग को लौटानी थी और इसका उलंघन होने पर रू0 1- प्रति बोरी की दर से कटौती करना अनिवार्य है। परन्तु ठेकेदार ने खाली बोरियां नहीं लौटाई है जिसके लिए रू0 2367/- की कटौती की जाये।

2) माप पुस्तिका 764/89 पृष्ठ-68

इस बिल में आयकर अधिभार मु0 214 रूपये काटा गया है जबकि मु0 321 रूपये काटने अनिवार्य थे। इस प्रकार आयकर अधिभार के 107 रूपये कम काटे गए है जो अब काटकर सरकारी कोष में जमा करवाये जाये।

प) वा0 सं0 58 दिनांक 11.12.90 राशि मु0 23724 रूपये

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवास बस्ती सोलन चरण-2 में बाह्य जल आपूर्ति योजना का उपलब्ध करवाना।

अनुबन्ध संख्या 10 वर्ष 1989-90

इस निर्माण कार्य के लिए मु0 23724/-रूपये की राशि का भुगतान श्री मदन कुमार बन्सल, ठेकेदार को तीसरे एवं अन्तिम बिल में किया गया। इस निर्माण कार्य बिल के लेखा परीक्षा उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमिततायें पाई गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है।

1. इस निर्माण कार्य के लिए मु0 2,98,885/-रूपये के लिए तकनीकी स्वीकृति पत्र सं0 एस.डी.(डी.बी.)सामाजिक सोलन/चरण-2 /8(दिनांक 2.2.89 द्वारा गई थी परन्तु इस पर कुल व्यय मु0 3,09,875.25 रूपये किया गया है। अतः इस व्यय के लिये संशोधित तकनीकी ली जाये

2. लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विचलन तालिका के अनुसार इस निर्माण कार्य में मु0 70,585.25 रू0 के लिए समरूप विचलन हुआ है तथा मु0 40,030.35 रू0 के लिए अतिरिक्त मदें निष्पादित करवाई गई है परन्तु समरूप विचलन तालिका इन सभी मदों के लिए तथा पृथक रूप में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई है। अतिरिक्त

अतिरिक्त मदों की दरें विश्लेषण सहित सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई है । उक्त अनियमितताओं का लेखांकन करके अनुपालना दिखाई जाये ।

3§ रु0 369/-रुपये सीमेंट खाली बोरी के न काटने में चूक :-

उस निर्माण कार्य में इस अंतिम बिल तक§माप पुस्तिका सं0 एच0बी0×193/89 पृष्ठ-72 की प्रविष्टियों के अनुसार§कुल 410 बोरी सीमेंट प्रयोग की गई तथा कटौती एवं वसूली की गई । परन्तु 90× खाली बोरी ठेकेदार ने नहीं लौटाई जिसके रु0 369 रू0 की कटौती छोड़ दी गई और न ही इस प्रमाण पत्र दिया गया कि खाली बोरी सम्बन्धित एजेंसी को वापिस की गई है ऐसा करने का अनुबन्ध के खण्ड-42§2§ के अधीन प्रावधान था अतः रुपये 369/- ठेकेदार से अब काटे जाये।

§न§ सुरक्षित अग्रिम 19650/-रू0 की राशि की नियमानुसार कटौती न करना :-

माप पुस्तिका सं0 एच.बी.डी0 /764/89 पृष्ठ सं0 8 की प्रविष्टि की विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि ठेकेदार मै0 लाडली कन्सट्रक्शन कम्पनी पंचकूला को रु0 19650 रुपये की राशि सुरक्षित अग्रिम के रूप में उपभोक्ता द्वारा अधिपेषित योजना के अन्तर्गत 24 न0 श्रेणी-2 फ्लैट्स के निर्माण कार्य के लिए जी.आई.पाईपों की आपूर्ति हेतु मार्च§1990 में भुगतान किया गया परन्तु इसकी वसूली मार्च 1991 तक भी नहीं की गई जो कि अनियमित है । लेखा परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि माप पुस्तिका 764/89,पृष्ठ 39 की प्रविष्टियों के अनुसार इस मद के कार्यान्वयन के उपरान्त तथा पाईपों के प्रयोग अनुसार चौथे बिल में उपरोक्त सुरक्षित अग्रिम की कटौती के लिए उपमण्डल से सिफारिश की गई परन्तु जब इस बिल का भुगतान करने लगे तो इस सुरक्षित अग्रिम की कटौती पूर्व प्रविष्टियों को काटकर छोड़ दी गई और माप पुस्तिका में सहायक अभियन्ता ने टिप्पणी दी कि "टेलीफोन पर अधिशासी अभियन्ता के आदेशों

...

945/-

के अनुसार सुरक्षित अग्रिम की इस बिल में कटौती नहीं की जाये [Secured Advance not to be deducted in this bill as directed by the executive engineer on telephone]

इसके साथ-2 मु0 9650/-रुपये की वसूली छटे चलत बिल में [माप पुस्तिका सं0 764/89 के पृष्ठ-68 के अनुसार] की गई और इसी बिल में मु0 10,000 रुपये की राशि का सुरक्षित अग्रिम माप पुस्तिका 764/89 के पृष्ठ 69 की प्रविष्टि अनुसार और दिया गया । इस प्रकार पूर्व अग्रिम मु0 19650/- रुपये की वसूली नहीं हुई और मार्च 1991 के बाद भी वसूली करने के लिए लम्बित पड़ा था इस प्रकार यह सुरक्षित अग्रिम एक वर्ष से भी अधिक समय से कटौती हेतु लम्बित पड़ा है जो कि नियमों के प्रतिकूल है । तथा अधिशासी अभियन्ता निजि रूप में जिम्मेवार है क्योंकि उन्ही के आदेशों के अनुसार यह कटौती नहीं हुई है इस राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित की जाये ।

च] मु0 180 रू0 की राशि की सोलन आवास बस्ती में जल आपूर्ति के रूप में उपभोक्ताओं से कम वसूली :-

---

लेखा परीक्षा के दौरान सोलन आवास बस्ती की जल आपूर्ति उपभोक्ता रजिस्टर की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि मु0 180 रुपये की राशि उपभोक्ताओं से पानी के बिलो में कम वसूली की गई तथा कम बिल जारी किए गए जिसका विवरण इस प्रकार है । पानी की दरें 27000 लीटर उपयोग तक 1 रुपये प्रति 1000 लीटर तथा उससे उपर ~~1.50~~ 1.50 रुपये प्रति एक हजार लीटर थी । मु0 180 रुपये की अब वसूली की जाये और अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

...

246

6.

आवंटी का नाम	मकान प्लाट सं०		बिल सं०	तिथि	देय राशि	प्राप्त की गई राशि	कम जमा की गई राशि
श्री आर०एल०वर्मा	एम.आई.जी -25		001564,	5.2.91	99.00	93.00	6.00
सलिल नारंग	यथोपरि 1		4904,	12.11.90	34.50	32.00	2.50
डी. एल. बेरी	यथोपरि-2		4905,	यथोपरि	57.00	49.00	8.00
हरिश चन्द्र गांधी	यथोपरि-4		1557	5.2.91	272.00	254.00	18.00
बलबीर कुमार गुप्ता	यथोपरि-5		4908	12.11.90	53.00	52.00	1.00
कृष्णपाल मिश्रा	एम.आई.जी-31		4998	14.12.90	54.50	43.00	11.50
पी. एम. मल्होत्रा	यथोपरि	32	4995	21.4.90	39.00	35.00	4.00
हरेन्द्र कुमार	यथोपरि	56	4593	14.12.90	83.00	64.00	19.00
के०के०पुरी	यथोपरि	60	4929	12.11.90	89.00	68.00	21.00
विजय कुमार	यथोपरि	78	1591	5.2.91	212.00	193.00	19.00
डी०के०शर्मा	एम.आई.जी. 117		4880	23.8.90	35.00	32.00	3.00
————	यथोपरि		4958	12.11.90	47.00	40.00	7.00
————	यथोपरि ————		1525	14.12.90	38.00	34.00	4.00
एस०गुप्ता	प्राइवेट मकान		4899	23.8.90	52.00	44.00	8.00
	यथोपरि ————		4981	12.11.90	45.00	39.00	6.0[illegible]
	यथोपरि ————		1550	17.12.90	41.00	36.00	5.0[illegible]
	यथोपरि ————		1706	5.4.91	38.00	34.00	4.0
अवनी कुमार	प्राइवेट मकान		4901	23.8.90	59.00	48.00	11.
	यथोपरि ———		4982	12.11.90	48.00	41.00	7.
एस०एल० शर्मा	प्राइवेट मकान		4902	23.8.90	53.00	45.00	8.
	यथोपरि —		4983	12.11.90	50.00	43.00	7.

योग=: 18C

निम्नलिखित इन्डेंटों द्वारा स्टोर से विभागीय निर्माण कार्यों के लिए श्री बी०एस०चौहान कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा विभिन्न सामग्री जारी की गई परन्तु एम०ए०एस० रजिस्टर नहीं दिखाए गए जो अगले लेखा परीक्षा के दौरान दिखाये जाए अन्यथा सामग्री की कीमत वसूल की जाये

....

—247.—

इन्डेंट संख्या तथा तिथि		सामग्री का नाम	मात्रा
7447	दिनांक 1. 7. 90	बिटूमन	2. 34 एम. टी॰(15ड्रम)
7448	यथोपरि	सीमेंट	3 बोरी
7498	28. 12. 90	यथोपरि	60 बोरी
7495	1. 12. 90	बिटूमन	10. 92 क्विंटल (7ड्रम)
7497	7. 12. 90	जी. आई. पाईप 50 एम. एम.	347. 70 वालमी
7580	20. 3. 91	सीमेंट	20 बोरी

(ख)

उप मण्डल रामपुर :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि हि०प्र० आवास बोर्ड रामपुर उपमण्डल में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यह उपमण्डल बन्द कर दिया गया है । परन्तु उपमण्डल में जो स्टाक एवं स्टोर सामग्री पड़ी थी वह स्थानान्तरण नहीं की गई जिसमें फर्नीचर तथा फिक्चर, टी०एण्ड पी० वस्तुयें तथा एम०ए०एस० में और दूसरी वस्तुयें पड़ी थी इन सभी वस्तुओं का स्थानान्तरण मण्डल कार्यालय में सुनिश्चित किया जाए ताकि इन वस्तुओं का दुरुपयोग न हो सके । अनुपालना अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाये ।

(ग) विद्युत उपमण्डल शिमला

निर्माण कार्य का नाम छात्रावास भवन, हिमाचल प्रशासनिक संस्थान (फियरलान) का निर्माण कार्य ।

उप शीर्ष आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य ।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य पर 31.3. 1991 तक मु0 4,16,857.25 रुपये खर्च किए गए है जबकि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मु0 2,59,240 रु0 के लिए थी जो पत्र सं0 हिपा/भवन-2/73-दिनांक 16. 4 88 द्वारा मु0 44,93,200/- रुपये के लिए निदेशक, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई थी । इसी प्रकार इस निर्माण कार्य के लिए व्यय अनुमान तथा तकनीकी स्वीकृति भी नहीं ली गई है जो अनियमित है इस कार्य को आबंटित करने के लिए दर निविदायें नहीं बुलाई गई । इसके विपरीत यह छोटे-

...

कार्यों
निर्माण आदेशों के आधार पर करवाया गया है ताकि अधिशासी अभियन्ता की वित्तीय कार्यशक्ति सीमा के अन्दर ही रहे जो कि बिल्कुल गलत एवं अनुचित है प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक की राशि का कार्य करवाना व्यय अनुमान पत्र बनाए बिना और दर निविदाएं बुलाए बिना कार्य निष्पादित करवाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। कृपया यह सुनिश्चित कियाजाए कि वांछित राशि प्राप्त हो गई है तथा अन्य औपचारिकतायें पूरे किए बिना यह कार्य कैसे करवाया गया।

(ग) अनुबन्ध के रख रखाव में कमी:-

लेखा परीक्षा के दौरान अनुबन्धों के विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इन का रख-रखाव ठीक नहीं है। सम्बन्धित ठेकेदारों के सभी उपमण्डलों में अधिकतम अनुबन्धों में हस्ताक्षर नहीं करवाए गए है और कई अनुबन्धों में अधिशासी अभियन्ता ने भी हस्ताक्षर नहीं किए है। कई जगह अनुबन्धों में आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टियां नहीं की है।

6. स्टोर एवं स्टाक

स्टोर एवं स्टाक के विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त निम्नलिखित अनियमिततायें एवं आपत्तियां पाई गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है।

(क) इन्डैंट सं0 9810 दिनांक 28.3.91

इन्डैंट सं0 9810 दिनांक 28.3.91 द्वारा दिनांक 30.3.91 को 7.50 मी0टन सी0जी0आई0 शीटस (चादरे) श्री प्रेमसिंह ठेकेदार को सहायक अभियन्ता उपमण्डल-II की सिफारिश से बिना कोई प्रशासनिक संस्थान दिया (कि निर्माण कार्य के लिए जारी की गई। ठेकेदार ने 5.00 मी0 टन के लिए इन्डैंट दिया था और 5.00 मी0टन ही जारी किया गया परन्तु बाद में 5.00 मी0 टन को काट कर 8.00 मी0 टन तथा फिर अन्ततः काट कर 7.50 मी0 टन करके जारी किया गया यह इन्डैंट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं था। स्टोर से यह सामग्री बिना स्वीकृति के जारी किया गया। इस माल का मूल्य रु0 1,22,925 रुपये रु0 16390/-रुपये प्रति मीटर टन की दर से है। इस माल को वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि में अधिक

मात्रा में ठेकेदार को जारी करने का कोई औचित्य नहीं है ।
यह तो केवल मात्र कार्यालय लेखों में स्टाक कम करने तथा निर्माण का अधिक व्यय दिखाने के लिए किया है जो कि अनियमित एवं अनुचित है । वैसे भी ये चद्दरें जल्दी प्रयोग में नहीं लाई गई है । इस प्रकार अधिक मात्रा में स्टाक जारी करने के कारण बताये जाये ।

(ख) इन्डेंट सं० 0660/एस०पी०के० दिनांक 2. 9. 90

146.40 मीटर लम्बी जी०एम०एस० पाईप (व्यास 25 एम,एम) इन्डेंट सं० 0660/एस०पी०के० दिनांक 2. 9. 90 द्वारा हि०प्र० आवास बोर्ड मण्डल परवाणु को श्री एस०पी० कौशिक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी किए गए और पाईप परवाणु मण्डल के अधीन बद्दी उपमण्डल में प्राप्त हुए है । परन्तु इन पाईपों की कीमत का लेखांकन डी०सी०एस० एकाउँट से परवाणु मण्डल के साथ नहीं किया गया है । जो कि अनुचित है इस चूक का लेखांकन करके अनुपालना दिखाई जाये ।

(ग) सीमेंट और स्टील की उतराई में रु० ~~16981~~ 16981·92 रुपये का अधिक भुगतान :-

लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्ति स्टोर लैजर की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि सीमेंट और स्टील की जो आपूर्ति शिमला मण्डल से संजौली शिमला स्टोर में प्राप्त की गई उसमें उतराई के भुगतान में रु० 16981.92 रुपये अधिक दरें देकर अधिक किया गया है । उतराई के भुगतान की दरें इस वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 125 प्रतिशत सीमेंट में तथा 300 प्रतिशत स्टील में बढ़ाकर भुगतान किया है वित्तीय वर्ष 1989-90 में स्टील की उतराई दर 30 रुपये प्रति मी०टन तथा सीमेंट की दर 0.50 से 0.75 रुपये प्रति बोरी था जबकि इस वित्तीय वर्ष में ये दरें 100 रु० प्रति मी०टन स्टील में तथा 2/-रुपये प्रति बोरी सीमेंट में दिया गया जो कि अति अधिक है । अधिक दरें देने के लिए उच्च अधिकारियों की स्वीकृति नहीं ली गई । नियमानुसार स्टोर में उतराई एवं लादान के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए दर निविदायें आमन्त्रित करके दर निर्धारण किया जाता है परन्तु इस प्रकार की औपचारिकतायें पूरे किए बिना इतने अधिक दरों से भुगतान करके बोर्ड के हितों की रक्षा नहीं की ।

250

2 रु0 प्रति बोरी सीमेंट की उतराई की दरें कहीं भी नहीं है और 100 रुपये प्रति मी0 टन स्टील के लिए भी बहुत अधिक है । यह कहना अनुचित न होगा कि जिस भवन में आवास बोर्ड मण्डल का भी कार्यालय है उसी भवन में नागरिक आपूर्ति निगम का भी कार्यालय है और वे प्रतिवर्ष सीमेंट इत्यादि के लदान व उतराई के दर निश्चित करते हैं यदि उनके दरों का भी अनुसरण किया होता तो भी नीचे निकाले गए रु0 16981.92 के अधिक भुगतान को टाला जा सकता था । इस अधिक भुगतान का उत्तरदायित्व निश्चित करके वसूली के लिए पग उठाये जाये ।

समायोजन वा0 सं0 7 माह 3/91 (पूरक) द्वारा रु0 24395/- में अधिक भुगतान ।

वी0आर0सं0 तथा तिथि	सामग्री का नाम	मात्रा	उतराई की भुगतान दर.	उतराई की पिछले वर्ष की दर	उतराई की अधिक दर	अधिक भुगतान राशि
2704 दि0 25.1.91	20एमएमस्टील	10 एम0टी	100/- प्रति मीट्रिक	30.00	70.00	700
2705 दि0 26.1.91	स्टील स्टील	19.960 MT	100 प्रति मीट्रिक	30.00	70.00	1397.20
2699 दि0 5.12.90	सीमेंट	180 बोरी	2 रुपये प्रति बोरी	0.75	125.00	225.
2700 दि0 6.12.90	सीमेंट	180 "	2.00	0.75	125.00	225.
2701 दि0 7.12.90	"	1080 "	2.00	0.75	125.00	1350
2680 दि0 5.6.90	"	540	2.00	0.75	125.00	675
2681 दि0 6.6.90	"	360 "	2.00	0.75	125.00	450
2682 दि0 7.6.90	"	180 "	2.00	0.75	125.00	225
2702 दि0 10.12.90	"	540 "	2.00 "	0.75	125.00	675
2679 दि0 4.6.90	"	360 "	2.00 "	0.75	125.00	450
2676 दि0 6.6.90	"	180 "	2.00"	0.75	125.00	450
2677 दि0 17.5.90	"	180"	2.00	0.75	125.00	450
2678 दि0 26.5.90	स्टील स्टील	40.760 एम0टी	102.00	30.00	72.00	2934.72
2689 दि0 31.7.90	सीमेंट	360 बोरी	1.25	0.75	0.50	180
2691 दि0 3.8.90	"	360 "	1.25	0.75	0.50	180
2692 दि0 4.8.90	"	180"	1.25	0.75	0.50	90
2693 दि0 5.8.93	"	180 "	1.25	0.75	0.50	90
2694 दि0 7.8.90	"	360 "	1.25	0.75	0.50	18

951

11

2695	दि0 8.8.90	सीमेंट	180 बोरी	1.25	0.75	0.50	90.00
2696	दि0 9.8.92	"	180 "	1.25	0.75	0.50	90.00
2683	दि0 11.6.90	"	360 "	2.00	0.75	1.25	450.00
2684	दि0 11.6.90	"	180 "	2.00	0.75	1.25	225.00
2685	दि0 27.6.90	"	360 "	2.00	0.75	1.25	450.00
2686	दि0 28.6.90	"	180 "	2.00	0.75	1.25	225.00
							12456.92

समायोजन वा0 सं0 22 मास 1/91 में अधिक भुगतान

2668	दि0 19.3.90	"	200 बोरी	2.00	0.75	1.25	250.00
2669	दि0 21.3.90	"	1400 बोरी	2.00	0.75	1.25	1750.00
2670	दि0 22.3.90	"	200 "	2.00	0.75	1.25	250.00
2672	दि0 27.3.90	"	200 "	2.00	0.75	1.25	250.00
2675	दि0 1.5.90	"	1620 "	2.00	0.75	1.25	2025.00

कुल योग:-16981.92 रुपये

घ) वर्ष 1990-91 के दौरान स्टील की खरीद की गई तथा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी भी की गयी। बार-2 अनुरोध करने पर भी स्टील के बिन कार्ड नहीं दिखाए गए जिन्हें अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाये।

ङ) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इन्डेंट और जी0आर का नियमित रूप में समायोजन नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों के खातों की प्रविष्टियाँ अधूरी रहती है तथा जो सामग्री एक निर्माण कार्य से दूसरे निर्माण कार्य के लिए स्थानान्तरित की जाती है उसकी टी0ई0 भी समय पर नहीं बनाई जाती है कई तो वर्षों तक समायोजन के लिए लम्बित पड़ी रहती है जिसे निर्माण कार्य में खर्च भी ठीक प्रकार से नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इन्डेंटों के द्वारा जो खर्च दिखाया जाना होता है उसका समायोजन नहीं किया जाता है इस पूरे का लेखांकन कर के अनुपालना दिखाई जाये।

- 252 -

12.

बोनस का भुगतान :-

(क) रु0 12276 रुपये की राशि की वसूली न करना ।

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों के पक्ष में 1.1.86 से नए वेतनमान संशोधि-त किए गए जिसके फलस्वरूप इन कर्मचारियों का वेतन बोनस की अधिकतम सीमा रु0 2500 रुपये से प्रत्येक के साथ दर्शायी गई तिथि से बढ़ गए थे परन्तु इन कर्मचारियों/अधिकारियों को संशोधित वेतनमानों के उपरान्त एरियर्स (बकाया राशी) के भुगतान के समय पिछले वर्षों यानि 1987-88, 1988-89, तथा 1989-90 के दौरान किए गए अधिक भुगतान की कटौती नहीं की गई । हि0प्र0 आवास बोर्ड, सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय आदेश सं0 एच0बी0-5-150/80-एस्टमन- दिनांक 3.3.84 के अधीन भी वसूली करनी अनिवार्य थी । इस राशि की वसूली तत्काल की जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जावे ।

क्र0	कर्मचारी का नाम व पद	अधिक भुगतान की अवधि	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1.	सर्वश्री परस राम वर्मा अधीक्षक ।	1987-88	1600.00	1333.00	267.00
2.		1988-89	1600.00	-	1600/-
		1989-90	1332.00	-	1332/-
2.	अनिल शारदा व0 प्रारूपकार	1988-89	1600.00	533.00	1067/-
		1989-90	1600.00	-	1600
3.	रोशन लाल, व0 सहायक	1988-89	1600.00	1467.00	133
		1989-90	1600.00	-	1600
4.	के0आर0चौहान, व0सहायक	1989-90	1600.00	533.00	1067
5.	के0आर0 गुप्ता, व0 सहायक	1989-90	1600.00	533.00	1067
6.	के0एल0नेगी व0सहायक	1989-90	1600.00	533.00	1067
7.	हरिराम शर्मा, व0 सहायक	1989-90	942.00	533.00	409
8.	श्रीमती कमलेश व0 सहायक	1989-90	1067.00	-	1067
				योग	12276

श्री नन्द लाल वर्मा, मण्डलीय लेखाकार को रु0 800 रुपये का अधिक भुगतान

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री नन्द लाल वर्मा हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे और प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ वेतन ले रहे थे । श्री वर्मा को रु0 800 रुपये की राशि का वर्ष 3/88 से 12/88 अवधि के लिए बोनस का वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान भुगतान किया गया जो कि सरकार के निर्देशों के अनुसार देय नहीं था ऐसी आपत्तियां पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में भी प्रकाश में लाई गई है । अतः रु0 800 रुपये की वसूली तत्काल की जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

8. (क) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति :-

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी में कुछ ऐसी दवाईयों की भी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति कर दी गई है जो देय नहीं है । अतः नीचे लिखे गए कर्मचारियों से विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त की जाए तथा अगले लेखा परीक्षा में अनुपालना दिखाई जाये ।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वा0 सं0 दिनांक	औषधि का नाम	अस्वीकार्य राशि
1.	सर्वश्री जीवनराम, मेसन	21, 4.4.90	क्रीमाफिन	15.95
2.	" श्याम प्रकाश नेगी, लिपिक	104, 30.4.90	लीला विलासरस सिरप-ओजस	14.55 16.80
3.	" टी. एस0 बट्टू, प्रारूपकार	62, 18.8.90	पिलक्स, बोटोफिन	8.65 22.70
4.	" महत राम, व0 लिपिक	41, 12.3.90	केला ड्रिपल	20.50
5.	" राम लाल, सेवादार	41, यथोपरि	यथोपरि	10.55
6.	" उत्तम सिंह, मिस्त्री	154, 30.3.91	गैसो, सैप्ट्रान एलकजीन बेरामार्सिन दवाईयां आयुर्वेदिक चिकित्सक ने आयुर्वेदिक दवाई के साथ लिखी है	228.00
7.	श्रीमती मधुकान्ता स्टेनो	125, 28.12.90	पोलोइड कैप्सूल तथा लोहित कैप्सूल आयुर्वेदिक चिकित्सक ने आयुर्वेदिक दवाई के साथ लिखी है ।	52.15

...

18

(ख) वा0 सं0 125 दिनांक 28.12.90 रु0 3535.00 रुपये

श्री रामजी दास को रु0 46.05 रुपये की राशि का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में भुगतान किया गया यह भुगतान कालातीत हो गया था क्योंकि चिकित्सालय के/3/चिक/डी/ की पर्ची के अनुसार 31.7.90 को चिकित्सक ने 5 दिन की दवाईयाँ लिखी थी और 4.8.90 को इलाज पूर्ण हो गया था । परन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा 8.11.91 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली के अनुसार तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने पर कालातीत हो गया था अतः इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से प्रतिपूर्ति की जाए ।

9. यात्रा भत्ता :-

(क) निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके प्रवास के दौरान स्कूटर/मोटर साईकल द्वारा यात्रा करने पर रु0 0.80 रुपये प्रति कि0मीटर की दर से यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान किया गया जिसका ब्योरा इस प्रकार है । हि0प्र0 सरकार के पत्र सं0 फिन-1-सी(14)-1/83-2 दिनांक 10.5.88 के अन्तर्गत निजि वाहन द्वारा प्रवास पर यात्रा करना बन्द किया गया है । अतः स्कूटर प्रभार के रूप में इन कर्मचारियों को कुल 919 रु0 का अधिक भुगतान किया गया है जिसको या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारियों से तत्काल वसूली की जाये ।

वा0 सं0	कर्मचारी का नाम	यात्रा भत्ता दावे की अवधि	बिल की राशि	अधिक भुगतान जो नहीं परीक्षण में किया गया ।
समायोजन वा0 सं0 63 मास 3/91	श्री बी0एस0चौहान कनिष्ठ अभियन्ता	3/1990	122.00	59.00
यथोपरि	यथोपरि	6/90	528.00	131.00
यथोपरि	श्री जोगिन्द्र सिंह क0अ0	9/90	105.00	57.00
समायोजन वा0सं0 11 मास 12/90	यथोपरि	8/89	118.00	74.00
यथोपरि	यथोपरि	9/89	167.00	91.00
यथोपरि	यथोपरि	10/89	219.00	131.00
यथोपरि	यथोपरि	11/89	243.00	140.00
यथोपरि	यथोपरि	12/89	644.00	228.00

योग-बाद-ब

15.

-255-

(ख) वा० सं० 101 दिनांक 30.4.90 राशि मु0 1739 रु0

मु0 1739 रु0 की राशि का भुगतान श्री टी०एस०वट्ट प्रारूपकार को इनके भारत दर्शन के लिए छुट्टी यात्रा रियायत दावे के रूप में किया गया । श्री टी०एस०वट्ट ने शिमला से कन्याकुमारी तथा वापिसी के लिए परिवार सहित मु0 8550/-रुपये के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमें मु0 6811 रु0 अग्रिम राशि का समायोजन किया गया उन्होंने हि०प्र० पर्यटन विकास निगम की बस से साढ़े चार टिकटों का मु0 1900 रुपये की दर से दावा मु0 8550 रुपये के लिए प्रस्तुत किया और उसे का ही अग्रिम सहित भुगतान किया गया । परन्तु उनकी निम्नानुसार हकदारी के हिसाब से रेलवे की प्रथम श्रेणी के समरूप मु0 1892 रु0 प्रति टिकट बनता है । अतः उन्हें मु0 8 रुपये प्रति टिकट की दर से मु0 36 रु0 का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके अनुपालना दिखाई जाये ।

(ग) वा० सं० 4 दिनांक 4.4.90 राशि मु0 716 रुपये

मु0 716 रुपये की राशि का श्री एस०एल० वर्मा, मण्डलीय लेखाकार को उनके शिमला से रामपुर को स्थानान्तरण के उपरान्त स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान किया गया । इस स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दावे का भुगतान करते समय मु0 60 रु0 की राशि का भुगतान सामान की मकान से ट्रक तक की ढुलाई के रूप में किया गया जो कि यात्रा भत्ता नियमों के विपरीत है । अतः मु0 60 रुपये की राशि की तत्काल वसूली की जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

10. बजट प्रावधान :-

(क) वित्तीय वर्ष 1990-91 के स्वीकृत बजट में जमादारों के 5 पदों का प्रावधान था परन्तु वेतन रजिस्टर के अनुसार 6 जमादारों को भुगतान किया जाता रहा है । इस प्रकार 6 पद भरे गये हैं जब बजट प्रावधान 5 पद का है । इसके साथ-2 तीन जमादारी दैनिक भोगी के आधार से है इस प्रकार 5 स्वीकृत पदों के लिए 9 व्यक्ति

कार्यरत है जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक मामला है । चार पदों के लिए वित्तीय वर्ष 1990-91 में एक अधिक चपड़ासी रखने से रुपये 21156/- बजट अनुमानों से अधिक खर्च हुआ है । स्वीकृत पदों से एक अधिक चपड़ासी नियुक्त करने का औचित्य बताया जाये इसके अतिरिक्त 3 दिहाड़ीदार चपड़ासी भी मण्डल कार्यालय में तैनात किये गये है जिनका भी बजट प्रावधान बताया जाये ।

[ख] इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 1990-91 के स्वीकृत बजट प्रावधान के अनुसार लिपिकों/वरिष्ठ लिपिकों/कनिष्ठ सहायक के छः पदें स्वीकृत किए गए है । परन्तु इन छः पदों के विरुद्ध सात पद भरे गए हैं । जो कि अनियमित है । तथा मण्डल अधिकारी द्वारा नियमों का सरासर उल्लंघन है । एक पद जो बिना बजट प्रावधान के भरा गया है उसके लिए वर्ष 1990-91 के दौरान जो कुल खर्च किया गया है उसका ब्यौरा तैयार किया जाये तथा उस खर्च का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेवारी मुकरर की जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

11. टेलीफोन दूरभाष व्यय

[क] वा० सं० 80 दिनांक 21.3.91 राशि रु० 801.00 रुपये

रु० 801 रुपये की राशि का भुगतान डाक तार विभाग को टेलीफोन सं० 5113 के बिल का किया गया । यह टेलीफोन अधिशासी अभियन्ता के आवास पर लगा है तथा रु० 80/रुपये में से रु० 401 रुपये अधिशासी अभियन्ता के निजि दूरभाषों के है जैसा कि बिल की प्रविष्टियों से स्पष्ट है परन्तु इनसे रु० 401 रुपये की वसूली नहीं की गई है जिसे तत्काल जमा करवाया जाये ।

[ख] वा० सं० 42 दिनांक 11.12.90 राशि रु० 746.00 रु०

दूरभाष 5113 के बिल का रु० 746 रुपये का भुगतान डाक एवं तार विभाग को किया गया है दूरभाष रजिस्टर की प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 27.9.90 को अमृतसर को ट्रंककाल की गई थी जिसका रु० 90 रुपये खर्च आया है । परन्तु किस उद्देश्य तथा किस व्यक्ति/संस्था से बात की गई है वर्णित नहीं है

...

257

ई बिल पर सरकारी कार्य 6 लिखकर भुगतान किया गया है यह ...... अधिशासी अभियन्ता के आवास में था इसलिए यह कौन ...... प्रतीत होती है । अतः रु0 90 रुपये की तत्काल वसूली की जाये ।

12. **कोरेंज प्रभार :-**

वा0 सं0 2 दिनांक 2.4.90 राशि रु0 913 रुपये

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को उनके बिल सं0 12844 दिनांक 30.11.88 का रुपये 913 रुपये का भुगतान किया गया है । यह प्रभार बिल श्री वी0के0सोनी सहायक अधिकारी के दिनांक 30.11.88 को होटल होली डे होम में ठहरने तथा खान पान का था । यह बिल 2.4.90 को कालातीत था तथा श्री सोनी को आवास बोर्ड अतिथि भी घोषित नहीं किया गया था । अतः अधिशासी अभियन्ता ऐसे भुगतान के लिए सक्षम नहीं है । इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस राशि की बोर्ड निधि को प्रतिपूर्ति की जाए ।

13. **विविध भुगतान :-**

(क) **वा0 सं0 90 दिनांक 26.4.90 राशि रु0 88142 रुपये**

रु0 88142/- रुपये की राशि का भुगतान श्री अनूप सिंह ठेकेदार को चैक न0 118165 दिनांक 26.4.90 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 द्वारा मुकदमा न0 101 तथा 102 वर्ष 1989 में नील कुंड आवास के निर्माण कार्य से सम्बन्धित विवाद में अनूप सिंह ठेकेदार बनाम हि0प्र0 आवास बोर्ड मण्डल के मध्य विवाचन अधिनिर्णय के रूप में दिया गया । अधिनिर्णय की प्रति तथा सम्बन्धित अभिलेख बार-2 निवेदन करने पर नहीं दिखाया गया । बिना अधिनिर्णय की प्रतिलिपि देखे इस भुगतान को लेखा परीक्षा में अधिप्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि क्या यह भुगतान तकनीकी कारणों से किया गया है अथवा किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही के कारण । इस तथ्य की पुष्टि करना अनिवार्य है । अतः सम्बन्धित अभिलेख अगले लेखा परीक्षा के दौरान दिखाया जाये ।

...

(ख) **वा० सं० 15 दिनांक 1.12.90 राशि 30,000/- रुपये**

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों को इस मण्डल में अग्रिम राशि अधिशासी अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना ही दे दी जाती है तत्पश्चात कार्योत्तर स्वीकृति ली जाती है । यह अनियमित है उपरोक्त वा० वा० अधीन मु० 30,000 रुपये अग्रिम राशि श्री कृष्ण कुमार, चन्द्र सहायक अभियन्ता, उपमण्डल सोलन को कर्मचारियों के माह नवम्बर 1990 के वेतन, पेट्रोल तथा दूसरे विभिन्न भुगतानों के लिये दी गई । इसमें पाया गया कि सहायक अभियन्ता ने मु० 40,000 रुपये के अग्रिम के लिए आवेदन किया था । सम्बन्धित कार्यालय सहायक ने टिप्पणी की कि सहायक अभियन्ता सोलन की 40,000 रुपये अग्रिम के लिए मांग पूर्व पारित वाउचरों के आधार पर नहीं है जिसका होना अनिवार्य है बिना पारित बिलों तथा वाउचरों के लिए अग्रिम नहीं दिया जा सकता है इसके साथ-2 यह भी टिप्पणी थी कि उक्त सहायक अभियन्ता के पास मु० 19925.60 रु० की राशि पहले से ही बकाया रही है जिसे मण्डल कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया है । परन्तु सम्बन्धित सहायक की टिप्पणी की अनदेखी करके स्वीकृति लिए बिना मु० 30,000 रुपये को श्री कृष्ण कुमार को भुगतान कर दिया गया लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्री कृष्ण कुमार चन्द्र, सहायक अभियन्ता आवश्यकता से अधिक अग्रिम लेते रहे हैं तथा अधिक प्राप्त किए गए अग्रिम को कई महीनों तक सम्भावित दुरुपयोग करते रहे हैं इस प्रक्रिया की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 31.3.91 को श्री कृष्ण चन्द्र के खाते में मु० 64698.50 रुपये की अग्रिम राशि पड़ी थी 1.4.90 को उनके पास मु० 1,06,772.31 रु० पड़े थे । इसके पश्चात 5/90 में मु० 40,000 रुपये, 6/90 में

— 259 —

में मु0 40,000 रुपये तथा 7/90 में मु0 38000 रुपये का और अग्रिम दिया गया परन्तु 31.7.90 तक इनका समायोजन नहीं किया गया लेखे नहीं दिये गये जो बकाया राशि उनके पास लम्बित पड़ी थी वह भी जमा नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण कुमार ने सरकारी निधि का दुरूपयोग किया है। जैसे कि मु0 12694.98 रुपये रसीद सं0 73799 द्वारा 16.4.90 को दिसम्बर 1989 में लिये अग्रिम के लेखा तथा उससे पहले के बकाया पड़े जमा करवाए गए। इस प्रकार 12694.98 रुपये का चार महिने दुरूपयोग हुआ है। इसी प्रकार जनवरी 1991 के 5349 रुपये, फरवरी, 1991 के मु0 3633.00 रुपये तथा मार्च 1991 के 7188.12 रु0 बकाया पड़े थे जमा नहीं करवाए है। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि निम्नलिखित राशि का श्री कृष्ण कुमार चन्द्र, सहायक अभियन्ता ने मु0 17925.60 रुपये की राशि का 4 से 7 महीने तक दुरूपयोग किया है जब कि नियमानुसार पिछले महीने की बकाया राशि जमा करवा कर ही अगला अग्रिम लिया जाना चाहिये। यह राशि रसीद सं0 74000 दि0 1.12.90 द्वारा जमा करवाई है।

मास 5/90 की बकाया राशि	5562.00
मास 6/90 की बकाया राशि	3585.30
मास 7/90 की बकाया राशि	7806.30
मास 8/90 की बकाया राशि	972.00 रुपये
योग:-	17925.60 रुपये

अतः सहायक अभियन्ता से अनावश्यक रूप से रखे गए अग्रिम धन पर दण्ड ब्याज लगाकर वसूली की जाये।

{ग} वा0 सं0 115 दिनांक 26.3.91 राशि मु0 8840 रुपये

मु0 8840 रुपये की राशि का भुगतान मै0 केपिटल ट्रेडिंग कम्पनी, दी माल सोलन को 100 मीटर जी0आई0 पाईप की खरीद के लिये {बिल सं0 10981 दिनांक 15.3.91} किया गया। इस सामग्री की खरीद नियमों की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही की गई पाईपों की स्टॉक/एम0ए0एस0 रजिस्टर में प्रविष्टियां भी नहीं की गई है इन पाईपों की खरीद का दर औचित्य तथा अगला व्ययन निर्दिष्ट किया जाये।

- 260 -

(घ) वा०सं० 19 दिनांक 3.12.90 राशि रु0 1727 रुपये

रु० 1727/-रुपये की राशि का भुगतान मै0 वर्धन कोरपोरेशन दी माल शिमला को चैक सं0 013770 दिनांक 3.12.90 द्वारा एक गोदरेज की घूमने वाली प्रबन्धक कुर्सी की खरीद के लिये (बिल न0 डब्ल्यू ? सी0/एम0एम0एल0/16 दिनांक 9.4.90) किया गया । जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि यह खरीद नियमों की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही की गई है । इसकी स्टाक प्रविष्टि भी नहीं दिखाई गई इस व्यय को सरकार द्वारा मितव्ययता निर्देशों के अन्तर्गत ढील प्राप्त करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नियमित करवाया जाये ।

(ङ) वा0 सं0 112 दिनांक 26.3.91 राशि रु0 6065 रुपये

रु0 6065 रुपये की राशि का भुगतान मै0 शिमला आटोमोबायल को वाहन सं0 एच0आई0एम02744 के मुरम्मत बिलों (नम्बर 007546, 007547,007548,007549 दिनांक 22.2.91 तथा 007600 दिनांक 21.3.91 के लिये किया गया मुरम्मत करवाने से पूर्व व्यय अनुमान बना कर स्वीकृत नहीं करवाये गये इसके अतिरिक्त इस वाहन की मुरम्मत/रखरखाव लॉग बुक में भी मुरम्मत व्यय की प्रविष्टियाँ नहीं दिखाई गई तथा जो पुर्जे इस मुरम्मत में बदले गये है उनको (पुराने पुर्जों की) प्राप्ति की प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई है । अतः यह सुनिश्चित किया जाये । इनमें जो भी पुराने पुर्जे हिस्से बदले गए है वे सम्बन्धित चालक द्वारा लाकर स्टाक में प्रविष्ट कर दिये गये है । यदि ऐसा नहीं किया गया है तो चालक से वसूली की जाये ।

14 वाहन:-

लेखा परीक्षा के दौरान वाहनों में निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितताये पाई गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

(क) वाहन सं0 एच0आई0एम02744 की लॉग बुक के जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि कोई वाहन का दुरूपयोग किया जा रहा है लॉग बुक की प्रविष्टियों के अनुसार वाहन का प्रयोग करने पर मील दूरी सही नहीं दिखाई गई है दूरी वास्तविक दूरी से कहीं अधिक बताई गई है जिससे स्पष्ट है कि पैट्रोल और वाहन का दुरूपयोग हुआ है इसके कुछ प्रमाण इस प्रकार है :-

तिथि	दूरी जो लोग बुक में बताई गई।	वास्तविक दूरी कि0मी0	अन्तर कि0मी0	स्थान जहाँ वाहन चलाए गए
2.4.90	29	22	7.	निगम विहार से ढली से संजौली कॉलोनी से पेयरलॉन से निगम विहार।
4.4.90	26	19	7	निगम विहार से कोसटन से ढली से स्ट्राबरी से संजौली।
4.4.90	21	14	7	संजौली से सी0बी0आर0वैंक से निगम विहार से संजौली।
4.4.90	17	12	5	संजौली से डी0सी0आर0 मिल से निगम विहार
5.4.90	24	12	12	निगम विहार से जाखू रैडक्रास भवन से संजौली से निगम विहार।
19.4.90	7	3	4	संजौली से निगम विहार।
20.4.90	92 44	45 32	32x 12	निगम विहार से पेयरलॉन से संजौली से कॉलोनी से निगम विहार।
21.4.90	82	45	37	निगम विहार से धाग से संजौली से पेयरलॉन से निगम विहार।
24.4.90	145	100	45	निगम विहार से तोका और वापिस निगम विहार।
25.4.90	53	33	20	शिमला से रैडक्रास भवन से पेयरलान से संजौली से निगम विहार, निगम विहार से ढली से निगम विहार, निगम विहार से संजौली से निगम विहार।
26.4.90	33	23	10	संजौली से स्ट्रोबैरी हिल से पेयरलॉन से निगम विहार।
2.5.90	10	5	5	संजौली से स्ट्रोबैरी हिल से निगम विहार
3.5.90	33	23	10	निगम विहार से रैडक्रास भवन से ढली से संजौली से स्ट्राबैरी हिल्स से संजौली
6.5.90	161	111	50	निगम विहार से कैमटन से ताराहाल से जाखू से तोका से शिमला।
7.5.90	48	28	20	संजौली से निगम विहार से पेयरलॉन से स्ट्राबैरी हिल से रैडक्रास भवन से संजौली से निगम विहार।
10.5.90	40	24	16	निगम विहार से स्ट्राबैरी हिल से ढली से निगम विहार से संजौली से निगम विहार से संजौली।
			267	

13.5.90	28	14	14	निगम विहार से फेयरलोन से निगम विहार ।
14.5.90	38	24	14	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से निगम विहार से संजौली से निगम विहार फेयरलोन से निगम विहार ।
15.5.90	41	21	20	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से रैडक्रास भवन से निगम विहार से संजौली से विन्टर फिल्ड से संजौली ।
21.5.90	124	50	74	संजौली से कच्चीघाटी से हली से कच्चीघाटी से संजौली
26.5.90	35	25	10	संजौली से स्ट्राबेरी हिल से निगम विहार से डी0सी0 आफिस से संजौली से निगम विहार ।
29.5.90	56	40	16	निगम विहार से फेयरलोन से संजौली कलोनी से निगम विहार से डी0सी0आफिस से निगम विहार संजौली से निगम विहार ।
30.5.90	25	16	9	संजौली से निगम विहार निगम विहार से संजौली से निगम विहार से संजौली से निगम विहार से
31.5.90	135	105	30	निगम विहार से तोका से संजौली ।
2.6.90	39	24	15	निगम विहार से रैडक्रास भवन से संजौली से नगर निगम शिमला से निगम विहार से संजौली से निगम विहार ।
4.6.90	30	15	15	निगम विहार से फेयरलोन से संजौली से निगम विहार ।
6.6.90	65	40	25	संजौली से फागू से निगम विहार से संजौली
7.6.90	58	40	18	संजौली से बेमलोई से जाख से निगम विहार से संजौली कलोनी से फेयरलोन से निगम विहार से संजौली से निगम विहार ।
8.6.90	47	10	37	संजौली से फेयरलोन से निगम विहार ।
11.6.90	34	24	10	निगम विहार से रैडक्रास भवन से निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से संजौली से डी0सी0 आफिस से निगम विहार ।
12.6.90	43	33	10	निगम विहार से बेमलोई से जाखू से निगम विहार से यू0एस0क्लब से डी0सी0 आफिस से निगम विहार से फेयरलोन से संजौली से निगम विहार ।
14.6.90	43	20	23	निगम विहार से जाखू से रैडक्रास भवन से संजौली संजौली से संजौली कलोनी से निगम विहार ।

9,63

15.6.90	57	37	20	निगम विहार से कैल्स्टन से स्ट्राबेरी हिल से भाड़ी से संजौली से स्ट्राबेरी हिल से रैडक्रास भवन से डी०सी० ऑफिस से निगम विहार ।
16.6.90	37	24	13	निगम विहार से ढली पैट्रोल पम्प से निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से रैडक्रास भवन से डी०सी०आ फिस से निगम विहार ।
22.6.90	32	22	10	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से निगम विहार से ढली से संजौली से कैल्स्टन से निगम विहार ।
25.6.90	41	23	18	कच्ची घाटी से संजौली से जाखू से संजौली से निगम विहार ।
26.6.90	56	36	20	निगम विहार से कैल्स्टन से ढली पैट्रोल पम्प से निगम विहार से पेयरलोन से स्ट्राबेरी हिल से निगम विहार
27.6.90	55	25	30	निगम विहार से पेयरलोन से संजौली से निगम विहार
28.6.90	125	100	25	निगम विहार से सोलन से निगम विहार ।
28.6.90	16	10	6	निगम विहार से ढली से निगम विहार से ।
5.7.90	14	10	4	निगम विहार से ढली से निगम विहार ।
6.5.90	35	22	13	संजौली से निगम विहार से खलीनी से स्ट्राबेरी हिल खलीनी संजौली से जाखू से निगम विहार ।
9.7.90	22	14	8	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से संजौली से छोटा शिमला से संजौली ।
9.7.90	7	4	3	संजौली से निगम विहार ।
10.7.90	33	23	10	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से ढली से पेयरलोन से कैल्स्टन से संजौली से निगम विहार ।
12.7.90	28	23	5	निगम विहार से कच्ची घाटी से निगम विहार।
18.7.90	25	16	9	निगम विहार से पेयरलोन और वापिस निगम विहार
26.7.90	37	25	12	निगम विहार से रैडक्रास भवन संजौली से डी०सी० ऑफिस से संजौली से निगम विहार ।
26.7.90	80	62	18	निगम विहार से संजौली से शोघी से निगम विहार से डी०सी० आफिस से संजौली से ढली से निगम वि
29.7.90	14	10	4	निगम विहार से ढली से निगम विहार ।
30.7.90	201	180	21	निगम विहार से बिलासपुर से वापिस निगम विहार
			370	

2.8.90	18	2	16	संजौली से ढली वापिस संजौली (रविवार)
3.8.90	40	25	15	संजौली से स्ट्राबैरी हिल से ढली से निगम विहार से फेयरलॉन से निगम विहार।
4.8.90	155	115	40	निगम विहार से छोटा शिमला से सोलन से शिमला से ढली से निगम विहार।
7.8.90	19	10	9	निगम विहार से ढली से निगम विहार।
7.8.90	38	29	9	निगम विहार से वैलेस्टन से निगम विहार से फेयरलॉन से संजौली से निगम विहार।
8.8.90	46	36	10	निगम विहार से जाखू से स्ट्राबैरी हिल से निगम विहार से ढली से संजौली से ढली से डी०सी० आफिस से संजौली से निगम विहार।
11.8.90	38	22	16	निगम विहार से जाखू से स्ट्राबैरी हिल से संजौली से निगम विहार।
14.8.90	26	10	16	निगम विहार से ढली से निगम विहार (ड्राईवर ने टैस्टिंग की)
17.8.90	14	10	4	निगम विहार से ढली से निगम विहार।
22.8.90	27	18	9	निगम विहार से जिला न्यायालय से ढली से संजौली से निगम विहार।
24.8.90	26	15	11	निगम विहार से ढली से छोटा शिमला से संजौली से निगम विहार।
27.8.90	29	17	12	निगम विहार से रैडक्रास भवन से निगम विहार से फेयरलॉन से संजौली से निगम विहार।
29.8.90	74	44	30	निगम विहार से स्ट्राबैरी से संजौली से ढली से निगम विहार से जाखू से निगम विहार।
30.8.90	36	26	10	संजौली से भराड़ी से निगम विहार से संजौली से निगम विहार।
31.8.90	55	32	23	निगम विहार से स्ट्राबैरी हिल से रैडक्रास भवन से संजौली से कुसुम्पटी से स्ट्राबैरी से रैडक्रास भवन से निगम विहार से ढली से निगम विहार।
3.9.90	24	16	8	निगम विहार से डी०सी०आफिस से संजौली से निगम विहार।
4.9.90	39	19	20	निगम विहार से स्ट्राबैरी से निगम विहार से रैडक्रास भवन से ढली से निगम विहार से जाखू से निगम विहार
5.9.90	25	17	8	संजौली से रैडक्रास भवन से फेयरलॉन से निगम विहार।

18.9.90	10	6	4	निगम विहार से हाई कोर्ट से निगम विहार ।
19.9.90	~~130~~ 137	~~102~~ 161	~~129~~ 25	निगम विहार से संजौली से सोलन से निगम विहार ।
20.9.90	40	6	34	निगम विहार से ढली से संजौली (ड्राईवर ने जाई है) सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
21.9.90	29	19	10	संजौली से स्ट्राबेरी से ढली से पेयरलान से संजौली से ढली से निगम विहार ।
22.9.90	44	27	17	छोटा शिमला से रैड्क्रास भवन से भराड़ी से पेयरलान से संजौली से निगम विहार ।
24.9.90	16	10	6	निगम विहार से ढली से छोटा शिमला ।
यथोपरि	317	287	30	छोटा शिमला से रामपुर से छोटा शिमला से बमलोई से संजौली
27.9.90	42	27	15	निगम विहार से स्ट्राबेरी से डी०सी० आफिस से संजौली से ढली से कैस्टन से संजौली ।
8.10.90	18	12	6	निगम विहार से स्ट्राबेरी से निगम विहार से ढली से निगम विहार ।
10.10.90	44	27	17	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से रैड्क्रास भवन से पेयरलान से निगम विहार ।
12.10.90	26	19	7	निगम विहार से स्ट्राबेरी हिल से डी०सी० आफिस संजौली से निगम विहार ।
17.10.90	24	14	10	निगम विहार से पेयरलान से संजौली से निगम विहार ।
19.10.90	15	10	5	निगम विहार से स्ट्राबेरी से ढली से संजौली से निगम विहार
20.10.90	157	127	30	निगम विहार से संजौली से ताराहाल से जाखू से संजौली से बालूगंज से सोलन से निगम विहार ।
23.10.90	16	10	6	निगम विहार से ढली से निगम विहार ।
29.10.90	37	27	10	निगम विहार से स्ट्राबेरी से ढली संजौली से पेयरलान से निगम विहार ।
3.11.90	36	26	10	निगम विहार से रैड्क्रास भवन से निगम विहार से ढली से पेयरलान से निगम विहार ।
6.11.90	38	26	12	निगम विहार से ढली से डी०सी० आफिस से संजौली से निगम विहार ।
7.11.90	10	5	5	संजौली से ढली से निगम विहार ।
8.11.90	7	4	3	संजौली से निगम विहार ।
9.11.90	36	21	15	निगम से खलीनी से छोटा शिमला से स्ट्राबेरी से ढली से निगम विहार ।

12.11.90	40	20	20	निगम विहार से खलीनी से सचिवालय से स्ट्राबेरी से रैडक्रास भवन से पेयरलान से संजौली से निगम विहार ।
14.11.90	23	14	9	निगम विहार से खलीनी से सचिवालय से डी०सी०आफिस से निगम विहार से संजौली ।
15.11.90	30	20	10	निगम विहार से खलीनी से सचिवालय से स्ट्राबेरी से निगम विहार से ढली से निगम विहार से डी०सी० आफिस से निगम विहार ।
16.11.90	27	19	8	निगम विहार से खलीनी से सचिवालय से रैडक्रास भवन से डी०सी० आफिस से संजौली से निगम विहार ।
17.11.90	38	23	15	निगम विहार से खलीनी से सचिवालय से डी०सी० आफिस से पेयरलान से संजौली से निगम विहार ।
19.11.90	32	20	12	निगम विहार से स्ट्राबेरी से ढली से संजौली से खलीनी से निगम विहार ।
21.11.90	75	45	30	निगम विहार से स्ट्राबेरी से संजौली से पेयरलान से फागू से कुसुम्पटी से संजौली ।
22.11.90	34	24	10	संजौली से निगम विहार से हिमाचल प्रैस से घोड़ा चौकी से संजौली ।
26.11.90	27	20	7	निगम विहार से स्ट्राबेरी से रैडक्रास भवन से केल्स्टन से संजौली से निगम विहार ।
28.11.90	148	105	43	संजौली से सोलन से निगम विहार ।
29.11.90	22	12	10	संजौली से ढली से डी०सी० आफिस से निगम विह
1.12.90	35	19	16	संजौली से निगम विहार, निगम विहार से ढली छा से पेयरलान से ढली से निगम विहार ।
6.12.90	182	120	62	निगम विहार से केल्स्टन से स्ट्राबेरी से सोलन से निगम विहार ।
13.12.90	36	24	12	निगम विहार से संजौली से खलीनी से पेयरलान से निगम विहार ।
14.12.90	31	21	10	संजौली से पेयरलान से केल्स्टन से संजौली से निगम विहार ।
15.12.90	25	15	10	संजौली से ढली से संजौली खलीनी से ढली से निगम विहार ।
17.12.90	16	10	6	निगम विहार से ढली से निगम विहार ।
19.12.90	30	16	14	निगम विहार से संजौली से पेयरलान से ढली से निगम विहार

267

19.12.90	70	30	40	निगम विहार से स्ट्रॉबेरी से निगम विहार से ढली से निगम विहार से पेंटरलौन से स्ट्रॉबेरी से निगम विहार ।
20.12.90	144	110	34	संजौली से सोलन से संजौली ।
22.12.90	35	20	15	निगम विहार से सोलन से संजौली/निगम विहार से स्ट्रॉबेरी से निगम विहार से जाखू से निगम विहार से छ
4.1.91	14	6	8	संजौली से ढली से संजौली से निगम विहार ।
5.1.91	131	100	31	निगम विहार से सोलन से निगम विहार ।
7.1.91	33	23	10	निगम विहार से स्ट्रॉबेरी से निगम विहार से संजौली से पु0अ0कार्यालय से सचिवालय से ढली से संजौली से निगम विहार ।
9.1.91	19	14	5	संजौली से स्ट्रॉबेरी से ढली से संजौली से निगम विहार
14.1.91	24	14	10	निगम विहार से हैड्क्वार्टर भवन से जाखू से स्ट्रॉबेरी से निगम विहार से संजौली से निगम विहार ।
16.1.91	24	16	8	निगम विहार से संजौली से पेंटरलौन से निगम विहार
22.1.91	22	16	6	निगम विहार से संजौली से पेंटरलौन से निगम विहार
27.2.91	23	16	7	निगम विहार से संजौली से पेंटरलौन से निगम विहार
28.2.91	51	40	11	निगम विहार से संजौली से जाखू से निगम विहार ।
11.3.91	217	200	17	निगम विहार से चण्डीगढ़ से परवाणू ।
12.3.91	213	200	13	परवाणू से कालका से चण्डीगढ़ से शिमला ।
14.3.91	125	100	25	निगम विहार से सोलन से निगम विहार ।
27.3.91	145	105	40	निगम विहार से सोलन से संजौली ।
30.3.91	13	9	4	निगम विहार से स्ट्रॉबेरी से संजौली से निगम विहार

(ङ) वाहन सं0 एच0आई0पी0-2744 में पेट्रोल का निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग :

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुभाग एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति) के पत्र सं0 एफ0डी0एस0ए0(5)6-83-4 दिनांक 18 जनवरी, 1991 द्वारा पेट्रोलियम की खपत में बचत हेतु निर्देश जारी किए गए थे जो आयोग बोर्ड पर भी लागू होते हैं

...

तथा सचिव एवं मुख्य अभियन्ता ने सभी मण्डलों को अनुपालना हेतु अग्रेषित किए है । इन निदेशों के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता के आधीन कोई वाहन के लिए पैट्रोल की खपत की अधिक सीमा 100 लीटर प्रति वाहन प्रति माह निर्धारित की थी । परन्तु इन निदेशों के विपरीत इस वाहन में निर्धारित सीमा से अधिक पैट्रोल की खपत की है । मास 1991 में जनवरी, 91 में 200 लीटर तथा मार्च 1991 में 299 लीटर की खपत की गई जबकि 100 लीटर प्रति माह करनी चाहिए थी । इस प्रकार इन दो महीनों में कुल पैट्रोल 299 लीटर सीमा से अधिक खपत किया गया है जो कि सरकारी निदेशों का उल्लंघन है अतः निर्धारित सीमा से अधिक पैट्रोल खपत करने के लिए औचित्य सहित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाये ।

(ग) अवकाश के दिन वाहनों के चलाने पर प्रतिबन्ध

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र सं० वित्त-1-सी (14) 1/83 दिनांक 14-3-90 के आधीन छुट्टी वाले दिन वाहनों को चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । यह प्रतिबन्ध प्रवास के लिए भी लागू है । इसके साथ-2 महीने के पहले तथा अन्तिम दो दिनों में भी प्रवास पर वाहन के चलाने पर प्रतिबन्ध है । इन आदेशों के विपरीत लोग बुक की प्रविष्टियों की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इस वाहन का उपयोग अवकाश वाले दिन भी किया है यह अनियमित है । जिन अधिकारियों ने यह (एच०आई०एम०-2744) चलाई है उनका ब्योरा इस प्रकार है जिस से छुट्टी वाले दिन वाहन चलाने पर जो खर्च हुआ है उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाए तथा अनुपालना दिखाई जाये ।

तिथि	प्रयोग करने वाले अधिकारी का नाम	दूरी कि०मी०	स्थान जहाँ यह वाहन चला
31-3-90 से 1-4-90	सहायक वास्तुकार	390	शिमला से इन्दौरा तथा इन्दौरा से शिमला ।
6-5-90	अधिशाषी अभियन्ता (शिमला मण्डल)	161	निगम विहार से बिलासपुर से तारादेवी से जाखू से लौटकर निगम विहार ।
13-5-90	यथोपरि	28	निगम विहार से पेयरलौन से निगम विहार ।

1.7.90	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)	115	क्याली से कुल्लू से बाली चौकी से कुल्लू ।
29.7.90	सहायक अभियन्ता-। (शिमला मण्डल)	45	निगम विहार से शोघी से निगम विहार
यथोपरि	ड्राईवर	14	निगम विहार से ढली से निगम विहार
2.8.90	यथोपरि	18	संजौली से ढली से संजौली ।
11.8.90	अधिशासी अभियन्ता (शिमला मण्डल)	38	निगम विहार से जाख से स्टाकैरी से फेयरलौन से मशोबरा कुफरी से निगम विहार
14.8.90	ड्राईवर	26	निगम विहार से ढली से निगम विहार
28.3.91	यथोपरि	17	निगम विहार से तारा देवी
29.3.91	यथोपरि	17	तारादेवी से निगम विहार ।

(घ) रु0 325 रुपये की राशि का निजि प्रभार के रूप में जमा न करवाना ।

लेखा परीक्षा के दौरान वाहन सं0 एच0पी0ई0एस0-2744 की लौग बुक की प्रविष्टियों की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों ने यह वाहन निजि कार्य के लिए चलाई है परन्तु निजि प्रभार के रूप में जो राशि प्रत्येक के सम्मुख लिखी गई है वह जमा नहीं करवाई है अतः रु0 325 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की जाये ।

दिनांक	अधिकारी का नाम	दूरी	दर	राशि	जिस स्थान में निजि यात्रा की गई ।
18.4.90	श्री सुशील कुमार	50 [illegible]	1.25	62.50 रु0	परवाणु से बिजौर तथा वापिस ।
24.6.90	श्री आर0सी0गुप्ता अ0स0अभि0	95	1.25	118.75	शिमला से दाड़लाघाट से वापिस ।
16.7.90	आर0सी0गुप्ता अधिशासी अभियन्ता	115	1.25	143.75	शिमला से पंचगई तथा वापिस ।

योग:- 325.00 रुपये

80) मण्डल के अधीन ट्रक सं0 एच0पी0ई0एस0 1340 की आउट टर्न :-

लेखा परीक्षा के दौरान ट्रक सं0 एच0पी0ई0एस0 1340 के मासिक आउटटर्न जो समायोजित की गई है की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित ठेकेदारों से निजि कार्य के लिए ट्रक के प्रयोग के प्रभार के रूप में कम प्राप्त किया है । इन ठेकेदारों ने निर्माण कार्य सामग्री स्टोर से निर्माण कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा ले जाई गई है

- 27 -

गाड़ी के लिये निजी कार्य तथा विभागीय कार्य के लिये दरें क्रमशः प्र0 13.29 रुपये तथा 9.10 रुपये प्रति किलोमीटर पत्र सं0 एम0बी0 (ई0बी0 (आर/एम0 वाहने/शिमला-85-खण्ड-111 दिनांक 4.4.91 द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकृत किए गए थे। परन्तु ठेकेदारों से 9.10 रुपये प्रति कि0मी0 की दर से प्रतिपूर्ति की है। इस प्रकार कम दर लगाने के फलस्वरूप निम्नलिखित ठेकेदारों से प्रत्येक के सामने लिखी गई राशि तथा कुल 540.51 रुपये की कम प्रतिपूर्ति की गई है इस राशि की तत्काल प्रतिपूर्ति शीघ्र की जाये तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाये।

[illegible] का मास	समायोजन वा0सं0		ठेकेदार का नाम	कि0मी0	देय राशि	प्राप्त राशि की राशि	शेष राशि जो कम प्राप्त हुई
4/90	19 माह	3/91	श्री जे0के0 मिश्रा	44	584.76	400.40	184.36
5/90	8 माह	3/91 (पूरक)	यथोपरि	21	279.09	191.10	87.99
6/90	9 माह	3/91 (पूरक)	यथोपरि	23	305.67	209.30	96.37
8/90	10 माह	3/91 (पूरक)	शिवानन्द शांडिल	20	265.80	182.00	83.80
7/90	11 माह	3/91 (पूरक)	जे0के0 मिश्रा	21	279.09	191.10	87.99
				129	1714.41	1173.90	540.51

(घ) वाहनों के पुराने हिस्से/पुर्जों की संक्षिप्त सूचि :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मण्डल के अधीन वाहनों के हिस्से/पुर्जे जिन में पुराने टायर भी सम्मिलित है की अभिलेखीय प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है इन पुराने पुर्जों की न तो कभी संक्षिप्त सूचि तैयार की गई और न ही उनका निपटारा किया गया। अतः सुनिश्चित करें कि इनमें जो भी पुर्जे/हिस्से उपयोग योग्य है या जिनकी ब्याज कीमत है संक्षिप्त सूचि तैयार करवा कर उनका नियमानुसार निपटारा करें।

1.

- 571. -

15. राजस्व आय :-

(क) निगम विहार भवन के साथ 5 भण्डार कमरों (स्टोर) की 1,14,242.00 रुपये की राशि की वसूली न करना ।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम विहार भवन के साथ बोर्ड के 5 भण्डार प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं को किराये पर दिए है । इनका किराया पत्र सं0 एच0बी0डी0बी0 (निगम भवन/83-खण्ड-5 दिनांक 2.8.86 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता से निर्धारित किया है ।

कमरों का क्रमांक	विभाग का नाम	कब्जा लेने की तिथि ।	किराया जो निर्धारित किया गया ।
1.	आर0आई0डी0 विभाग	1.4.82	400 रु0 प्रतिमाह
2.	एच0पी0एम0सी0	1.3.82	398 रु0 प्रतिमाह
3.	इन्स्टीच्यूट आफ इन्जीनियरस यूनाईटिड कमर्शियल बैंक (1-3-82 से)	5.11.85 4.11.85 तक	398 रु0 प्रतिमाह
4.	रूरल हाउसिंग	1.1.80	398 रु0 "
5.	आवास बोर्ड	अपने पास	398 " "

जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इन किराये पर दिए गए कमरों के सम्बन्ध में सम्पत्ति रजिस्टर नहीं दिखाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवास बोर्ड के पास और कितने कुल कमरें किराये पर है तथा कितने अपने प्रयोग में है । सी0पी0डब्ल्यू एकाउंटस कोड पैराग्राफ 9(5)(5) के अन्तर्गत किराए की वसूली रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य है परन्तु बोर्ड कार्यालय ने यह रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे किराए की प्राप्ति और शेष का पता लग सके । इन कमरों को किराए पर देने के अनुबन्ध भी नहीं दिखाये गये है अतः इस प्रकार इन कमरों की आय का कोई हिसाब नहीं रखा गया है कि कितना किराया उपरोक्त विभागों से बकाया है और कितना वसूल कर लिया है इस सम्बन्ध में सचिव एवं मुख्य अभियन्ता हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला ने पत्र सं0 एच0बी0-7-10/78-प्रशासन खण्ड-3 दिनांक 19.11.87 द्वारा किराए की वसूली के लिए लिखा था परन्तु

इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही इस किराए के लिए बिल जारी किए गए लेखा परीक्षा के दौरान जो सूचना एवं अभिलेख प्राप्त हो तथा उसके आधार पर 31.3.91 को मु0 1,14,242 रूपये की राशि वसूली के लिये बकाया पड़ी थी जो बहुत ही अधिक है इस सम्बन्ध में पाया गया कि मण्डल कार्यालय में आंतरिक पर्यवेक्षण की बहुत कमी है । मु0 1,14,242/- रूपये की राशि जो बकाया पड़ी थी का ब्यौरा परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है अत: इस राशि की तत्काल वसूली के लिये कार्यवाई की जाये ।

{ख} मु0 1639.48 रूपये की राशि की पानी के बिल के रूप में आंबटियों से कम प्राप्ति :-

===

संजौली आवास बस्ती के जल आपूर्ति उपभोक्ता रजिस्टर की जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि मु0 1639.48 रूपये की उपभोक्ताओं से पानी के बिलों में कम वसूली की गई तथा बिल भी कम जारी किये गये जिसका विवरण इस प्रकार है । अत: मु0 1639.48 रूपये की राशि की वसूली तत्काल की जाये तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

उपभोक्ता का नाम	मीटर सं0	बिल की अवधि	कुल राशि वसूली योग्य	राशि जो वसूल की गई	बकाया कम वसूली राशि ।
श्री आई.डी.शेखर	50226	1.4.89 से 30.4.90	317.50	304.12	13.38
टी.आर.भारद्वाज	50217	1.11.90 से 28.2.91	728.45	550.00	178.45
गिरधारी लाल	50234	31.10.89 से 28.2.91	477.40	शून्य	477.40
दौलत राम	50351	1.11.89 से 30.9.90	203.30	197.30	6.00
सुरेन्द्र पाल सिंह	50218	3.10.89 से 28.2.91	150.85 ~~[illegible]~~	शून्य ~~[illegible]~~	150.85
कुलदीप चन्द	50390	1.5.90 से 28.2.91	201.25	शून्य	201.25
उमेद सिंह	50303	1.1.89 से 28.2.91	612.15	शून्य	612.15
			2690.90	105142	1639.48

273

[ग] रु0 1134/-रु0 की राशि का पहरा निगरानी प्रभार की कम वसूली :-

कंपोती आवास बस्ती में आवंटियों को मकानों के आवंटन किए गए। इनमें से निम्नलिखित आवंटियों से रु0 1134/-रु0 की राशि पैहरा निगरानी प्रभार [वाच एण्ड वार्ड चार्जेज] की वसूली नहीं की गई है। आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार आवंटन पत्र की तिथि के एक मास के भीतर आवंटी को मकान का कब्जा ग्रहण करना चाहिए अथवा 0.1% प्रतिमाह आवंटन राशि का पहरा-निगरानी प्रभार के रूप में कब्जा लेते समय वसूली करने का प्रावधान है। परन्तु इन आवंटियों ने निश्चित तिथि के अन्दर कब्जा नहीं लिया और काफी समय बाद कब्जा लिया जिसकी निगरानी के लिए बोर्ड को चौकीदार की व्यवस्था करनी पड़ी। अतः नीचे वर्णित राशि को सम्बन्धित आवंटियों से वसूली की जाए।

आवंटी का नाम	फ्लैट/फ्लोर सं0	अवधि	देय राशि रुपये	प्राप्त राशि रुपये	बकाया राशि रुपये
श्रीमती सविता जैन	बी-4/1	30.10.89 से 26.12.90	1846/-	1750/-	96/-
कंवर इन्द्र जैन	बी-2/6	19.9.89 से 27.10.89	162/-	37/-	125/-
श्री जसबीर सिंह	डी0-3/3	5.11.89 से 12.6.90	913/-	शून्य	913/-
		योग :-	2921/-	1787/-	1134/-

रु0 1134/-रुपये

16. विविध आपत्तियां :-

[क] समायोजन वाउचर सं0:7 माह 3/91 राशि 886.75 रुपये

रु0 886.75 रु0 की राशि का समायोजन श्री रामजी दास चालक के अग्रिम खाते में ट्रक संख्या: एच0आर0ए0-1340 के मुरम्मत के खर्चों में किया गया। इस समायोजन में निम्नलिखित आपत्तियां

पाई गई :-

[1] रु0 236.95 रुपये की राशि का भुगतान चालक ने अग्रिम में से तरपाल की खरीद के लिए मै0 कथूरिया स्टोर चॉक्टा को कच्चा पर्चा संख्या: 608 दिनांक 26.7.89 द्वारा किया गया बताया है। परन्तु इस तरपाल की स्टाक प्रविष्टि नहीं दिखाई गई। इसकी खरीद भी औपचारिकताओं पूर्ण किए बिना ही की गई जिससे दर औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

[2] रु0 340.80 रुपये की राशि का भुगतान चालक ने अग्रिम में से बैरिंग की खरीद के लिए मै0 प्रवीण कुमार एण्ड कम्पनी, नाहन को कच्चा पर्ची संख्या: 646 दिनांक 26.7.89 द्वारा किया गया बताया है। इस बैरिंग की प्रविष्टि मुरम्मत रजिस्टर में नहीं दिखाई गई है। तथा पुराने पुर्जों के रजिस्टर में भी पुराने बैरिंग की प्रविष्टि नहीं दिखाई गई। इस बैरिंग की खरीद औपचारिकताएँ पूर्ण किए बगैर की गई। इसमें यह भी पाया गया कि रु0 33.80 रुपये सेल्ज टैक्स तथा सरचार्ज के दिए गए हैं। परन्तु छपे हुए बिल पर अंकित नहीं था जिसका कर विक्रेता वैधिक रूप में नहीं ले सकता है। अत: रुपये 33.80 की सम्बन्धित चालक से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना बताई जाए तथा दर औचित्य प्रमाण पत्र दिया जाए।

[3] <u>समायोजन वाउचर सं0 25 माह 3/91 राशि रु0 1498/-60</u>

रु0 1498/-रुपये की राशि का समायोजन निगम विहार के भवन की मुरम्मत के लिए स्टाक सामग्री की खरीद हेतु सहायक अभियन्ता के अग्रिम खाते में से किया गया। इस समायोजन में पाया गया कि रु0 1498/-रुपये में से रु0 988/-रुपये की राशि सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में सजावट के लिए किया गया परन्तु पूरा खर्चा निगम विहार के भवन की मुरम्मत के लिए कियागया दिखाया गया जो कि अनियमित एवं अनुचित है क्योंकि रु0 988/-रुपये की राशि का खर्च मुख्यालय में आकस्मिक व्यय के बजट प्रावधान के खाते में से होना था इसलिए 988/-रुपये का खर्च निगम विहार भवन की मुरम्मत में गलत है।

- 278 -

गया है । यदि इस वर्क मिस्त्री ने इस निर्माण कार्य के लिए कार्य

- 275 -

[ग] समायोजन वाउचर सं० । माह 3/91 [पूरक] राशि रु0 3400.64 रुपये :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि 12 एम०एम० व्यास को 4 क्वींटल स्टील इन्डैंट संख्या: 7437 दिनांक 25.5.90 द्वारा एस०एफ०एस० 24 नम्बर का-II फ्लैट के निर्माण कार्य से सामाजिक आवास योजना पश्च-II के 48 नम्बर एम०आई०जी० फ्लैट के निर्माण कार्य में [जिसकी कीमत रु0 3400.64 रुपये थी का] स्थानान्तरण की । परन्तु एकाउन्टस में गलत वर्गीकरण किया गया है । इस राशि का क्रेडिट 24 नम्बर एस०एफ०एस० का-II फ्लैटों का होना था परन्तु 24 नम्बर एम०आई०जी० फ्लैट सामाजिक आवास को ना को किया गया । जो कि अनियमित है । इसकी सही स्थिति दर्शाई जाए ।

[घ] समायोजन वाउचर संख्या: 53 माह मार्च, । 91 राशि रु0 26,545.00 रुपये :-

रु0 26,545.00 रुपये की राशि का सामाजिक आवास योजना पश्च-। के खर्च में से स्थानान्तरण करके वर्षा से हुई क्षति की पुनः बहाली के लिए प्राप्त अनुदान राशि में समायोजन किया गया । परन्तु कोई अधिकारिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि जिस निर्माण कार्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है उसी में खर्च हुआ है । इससे सम्बन्धित माप पुस्तिका तथा दूसरे अभिलेख भी नहीं दिखाए गए । यह केवल व्यय दर्शाने के लिए ही समायोजन किया गया प्रतीत होता है । अतः रुपये 26,545 रुपये के खर्च से अभिलेख दिखाए जाएँ ।

[ङ.] समायोजन वाउचर सं0 51 माह 3/91 [पूरक] राशि रु0 8079.84 रुपये :-

रु0 8079.84 रुपये का समायोजन विभागीय प्रभार के रूप में किया गया जिसमें विभिन्न निर्माण कार्य के खातों में नाम डालकर [डेबिट] तथा विभागीय प्रभार के रूप में जमा [क्रेडिट] किया गया परन्तु इनका इन्द्राज ~~XXXX/XXX~~ जनरल तथा लेजर में नहीं किया गया जो कि अनियमित है । इसी प्रकार समायोजन वाउचर सं0: II

[पूरक] माह 3/91 [II-पूरक] में जो समायोजन किए गए हैं उनकी भी जनरल तथा लेजर में प्रविष्टियाँ की गई । अत: उपरोक्त कमी का लेखांकन करके अनुपालना दिखाई जाए ।

[घ] समायोजन वाउचर सं0:4 माह 8/90 राशि रु0 67164.77

रु0 67164.77 रुपये की राशि का समायोजन श्री तरुण कुमार चन्द्रा, सहायक अभियन्ता के रु0 80,000 रुपये के अग्रिम खाते में जमा [क्रेडिट] करके विभिन्न कार्यों के व्यय में विभिन्न लेखों के नाम [डेबिट] किया गया । इस अग्रिम का भुगतान श्री तरुण कुमार चन्द्रा को मार्च तथा अप्रैल,1990 में किया गया था । परन्तु जो शेष राशि रु0 12835.23 रुपये श्री तरुण कुमार के पास थी वह 3/91 तक जमा नहीं करवाई जो कि सरकारी निधि का दुरुपयोग है । यह भी पाया गया कि श्री तरुण कुमार आवश्यकता से अधिक अग्रिम धन प्राप्त करके शेष का दुरुपयोग करते हैं और महीनों तक जमा नहीं करवाते हैं । यह राशि एक वर्ष से भी अधिक समय से अनुचित तरीके से श्री तरुण कुमार चन्द्रा के पास रही है । जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा बकाया राशि ब्याज सहित वसूल की जाए । इस समायोजन का व्यय रु0 67164.77 रुपये दिखाया गया है जिसे अधिशाषी अभियन्ता द्वारा पारित नहीं किया गया है । इस समायोजन को प्रमाणित करवाया जाए ।

[ङ] समायोजन वाउचर सं0:5 माह 8/90 राशि रु0 23250.20

5(क) रु023250.20 रुपये की राशि का समायोजन श्री अशोक कुमार गोयल, ठेकेदार के अग्रिम खाते के नाम [डेबिट] करके सामाजिक आवास बस्ती अंबोटा के अधीन 72 नम्बर एम0आई0जी0 फ्लैट्स के निर्माण कार्य के लिए कार्यों तथा अन्तिम बिल के सम/सै/ वसूली योग्य राशि के रूप में किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि पहले अधिक भुगतान किया गया है जो कि अन्तिम बिल में बकाया रह गया है । इस राशि को कैसे वसूल किया जायेगा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इसका नियम बताया जाए जिसके अन्तर्गत यह समायोजन किया है । अन्यथा इस राशि को सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध जिम्मेवारी मुकर्रर की जाए । इस अन्तिम बिल की जाँच

पड़ताल करने के लिए सम्बन्धित अभिलेख बार-बार अनुरोध करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसको अगले लेखा परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए ।

(च) समायोजन वाउचर सं0:2 माह 8/90 राशि रु0 6902.70.

रु0 6902.70 रुपये की राशि का समायोजन निम्नलिखित श्रेणी के स्टील मद के स्थानान्तरण के रूप में 36 नम्बर एम0आई0जी0 फ्लेटस संजौली के नाम (डेबिट) करके 72 नम्बर एम0आई0जी0 फ्लेटस के लिए ठेकेदार के खाते में जमा करके किया गया । यह सामग्री इन्डेंट संख्या:7163 दिनांक रिक्त द्वारा स्थानान्तरण की गई परन्तु एम0ए0 एस 0 की प्रविष्टि नहीं दिखाई गई । इस चूक का लेखांकन किया जाए

इन्डेंट सं0	विवरण	मात्रा	राशि(रुपये)
7163	टोर स्टील 8 एम0एम	2.14 क्वींटल	1423.10
	" " 10 "	6.37 क्वींटल	4236.05
	" " 12 "	1.87 क्वींटल	1243.55

(छ) वाउचर सं0 64 दिनांक 21.4.90 राशि रु0 27237.00रु0

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि रु0 27237/-रुपये की राशि रसीद नम्बर 73811 दिनांक 21.4.90 के द्वारा जीप नं0 एच0पी0एस0-5522 के नीलामी विक्रय के प्राप्त किए गए । परन्तु इस वाहन के विक्रय के सम्बन्ध में नीलामी सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षण को नहीं दिखाए गए । जिसके बिना वाहन के विक्रय को अधिप्रमाणित करना असम्भव है । अतः इसके सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख अगले लेखा परीक्षण में दिखाए जाएँ ।

(ज) लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि रु0 36431/-रुपये की राशि का वर्ष 1990-91 के दौरान विपणन परिसर ढली के निर्माण कार्य के लिए श्री प्रभु राम कर्म मिस्त्री के वेतन का खर्च डाला गया है । यह निर्माण कार्य निविदा के आधार पर ठेकेदार से करवाया गया है तथा श्री प्रभु राम कर्म मिस्त्री ने इस निर्माण कार्य में काम किया हो नहीं है तो यह क्यों इस निर्माण कार्य को ऐसे दिखाया

गया है । यदि इस वर्क मिस्त्री ने इस निर्माण कार्य के लिए कार्य किया है तो इस राशि की वसूली ठेकेदार से होनी चाहिए थी । अतः इस राशि का इस निर्माण कार्य में कोई औचित्य नहीं है । इस राशि का सम्बन्धित निर्माण कार्य जहाँ प्रभु राम ने कार्य किया है के नाम [डेबिट]करके इस कार्य में जमा [क्रेडिट] किया जाए तथा अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए ।

[ट] समायोजन वाउचर सं0 7 माह 3/91 [पूरक] राशि रु0 24395.00 रुपये .

रु0 24395/-रुपये की राशि का श्री कल्याण सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता के अग्रिम खाते में बिजली के बिल के भुगतान में समायोजित किया गया है । इस समायोजन में एकाउंट नम्बर ओ0आई0बी0 के रजिस्टर की सूक्ष्म जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि बिजली के बिलों का भुगतान समय पर किया जा रहा था । लेकिन बिल नम्बर 510117 के अनुसार रु0 104.50 रुपये बकाया राशि का रसीद संख्या: 817201 के द्वारा भुगतान किया गया । यह भुगतान आँकड़ों की सत्यापना किए बगैर किया गया और यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि यह बकाया विद्युत परिषद ने कैसे निकाला है । अतः इसकी छानबीन की जाए कि यह बकाया किस कारण दिया गया है । अन्यथा इस राशि की प्रतिपूर्ति की जाए ।

17. बैंक समाधान विवरण :-

[क] लेखा परीक्षा के दौरान सेन्ट्रल बैंक के बैंक समाधान विवरण की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित चैक जो 1976 से लेकर अभी तक भुनाये नहीं गए हैं और बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए हैं । इन चैकों को बैंक समाधान विवरण में दिखाया जा रहा है । अतः इन चैकों का वाँछित एकाउंट में लेखांकन किया जाए :-

चैक नम्बर तथा तिथि		राशि [रुपये]
38863	27.3.76	5903.05 रुपये
013122	5.11.88	11602.00 "
013134	21.12.88	358.20 "

चैक नम्बर तथा तिथि		राशि (रुपये)
013214	2.6.90	1960.00 रुपये
013215	2.6.90	1800.00 "
013135	23.12.88	388.00 "
013141	23.12.88	1000.00 "
013142	23.12.88	9150.00 "
013144	27.12.88	39839.00 "
013146	7.1.89	1800.00 "
013143	11.1.89	47697.00 "
013166	8.3.89	10564.00 "
013219	15.6.90	3827.00 "
013218	2.6.90	394.00 "
013217	2.6.90	348.00 "
013216	2.6.90	1013.00 "

(ख) इसी बैंक की बैंक समाधान विवरण में पाया गया कि अक्तूबर,1976 में बैंक प्रभार के रूप में रु0 4805.92 रुपये बैंक ने बैंक खाते में डेबिट किए थे। परन्तु उस राशि का अभी तक तथा 31.3.9 तक रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है तथा यह राशि अभी बैंक प्रभार के रूप मे बैंक समाधान/ समाधान समाधान विवरण में दिखाई जा रही है। इस राशि को बैंक से जाँच पश्चात करके प्रतिपूर्ति की जाए अन्यथा व्यय प्रविष्टि की जाए।

18. **लघु आपत्ति विवरणिका :-**

लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का लेखा परीक्षा के दौरान ही निपटारा कर दिया गया है।

लगातार.....

19. निष्कर्ष :-

मण्डल लेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है तथा आन्तरिक नियन्त्रण की अधिक आवश्यकता है ।

हस्ता/-
सहायक नियन्त्रक (ले०प०)
हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड,
निगम विहार, शिमला-171002

28 SEP 1993

...

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(2)(15)14-123/88, दिनांक, शिमला-171002.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1) कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला मण्डल, शिमला-6 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का बिन्दुवार उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।
2) आयुक्त एवं सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
3) सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम विहार, शिमला-171002.
4) श्री ~~[illegible]~~ आशीष रंजन शर्मा, सहायक नियन्त्रक, द्वारा.........
5. श्री [illegible], अंके० अधिकारी द्वारा - - -

[illegible signature]
सहायक नियन्त्रक (ले०प०),
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
25/9

....

-188- परिशिष्ट "क" पैरा-3 में उल्लिखित

[illegible] 281

दिनांक	[illegible]	[illegible]	
16.12.91 से 22.12.91	4	—	160=00
24.1.92 से 26.1.92	1	1	55=00
27.1.92 से 2.2.92	6	1	255=00
3.2.92 से 9.2.92	5	5	275=00
10.2.92 से 16.2.92	—	6	90=00
17.2.92 से 23.2.92	5	5	275=00
24.2.92 से 1.3.92	5½	6	330=00
2.3.92 से 8.3.92	5	5	275=00
9.3.92 से 15.3.92	5	5	275=00
16.3.92 से 22.3.92	5	5	275=00
23.3.92 से 29.3.92	6	6	330=00
30.3.92 से 5.4.92	6	6	330=00
6.4.92 से 12.4.92	5	5	275=00
13.4.92 से 19.4.92	1	5	85=00
20.4.92 से 26.4.92	6	6	330=00
27.4.92 से 3.5.92	6	6	330=00
4.5.92 से 10.5.92	4½	—	200=00
11.5.92 से 17.5.92	4	—	160=00
18.5.92 से 24.5.92	6	6	330=00
25.5.92 से 31.5.92	3	6	210=00
1.6.92 से 7.6.92	6	6	330=00
			Rs. 5175=00

[signature]

प्रभारी अधिकारी
[illegible]

— 187 — परिशिष्ट "ख" पैरा – 4(ख) के अनुसार 282

DETAILS OF STAFF ADVANCE ASXRERX ON 31.3.91.

	Names	Debit..	Credit.
1.	Sh. Gurmit Singh Kandal	-	1752=00
2.	Sh. Turan Kumar AE.	64690=70	-
3.	Sh. K.K. Kalia AE.	00=32	-
4.	Sh. Raju Driver.	16930=70	-
5.	Sh. Ram Ji Dass Driver.	511=41	-
6.	Sh. S.P. Negi Clerk.	247=00	-
7.	Sh. K.N. Bhalla;JE.	6422=88	-
8.	Sh. Kashmir Singh JE.	4750=07	-
9.	Sh. Jagat Ram Pal Sr. Astt.	105=80	-
10.	Sh. D.R. Gandhi,JE.	4753=90	-
11.	Sh. Bhupal Chand Singh JE.	4614=65	-
12.	Sh. C.K. Sharma,EE.	-	26=56
13.	Sh. Vijay Kumar Driver.	3945=44	-
14.	Sh. Rakesh Sharma AE.	12=31	-
15.	Sh. Kalyan Singh JE.	17526=20	-
16.	Sh. K.K. Mishra AE(E)	13830=17 (1,38,3617)	-
17.	Sh. K.L. Kashyap JE.	500=00	-
18.	Sh. Roshan Lal Jr Astt.	4808=80 -	149=90
19.	Sh. Rajive Patial JE.	1000=00	-
20.	Sh. Anil Kumar Doger JE.	9250=00	-
21.	Sh. Bhupinder Dutt TDM.	82=62	-
22.	Sh. Geeta Ram JE.	4057=50	-
23.	Sh Nanak Chand Peon.	150=00	-
24.	Sh. Jolly Ram Driver.	319=32	-
25.	Sh. Mast Ram,Clener.	55=10	-
26.	SH. Bipon Kaul ,AE.	5069=90	-
27.	Sh Ajudhia Dass,Driver.	50=00	-
28.	Sh. Bhola Dutt,Driver.	01=00	-
29.	Sh. Ram Bahadure,Driver.	454=30	-
30.	Sh. Prakesh Chand Driver.	780=00	-
31.	Sh. Sameer Chand Driver.	300=00	-
32.	Sh. Ramesh Kumar Driver.	250=00	-
33.	Sh.P.K. Sood,JE.	1202=50	-
34	Sh Ram Lal Driver		
	Total:	167384=55	1928=46
		165456=09	

Net difference Dr.Rs.

Executive Engineer,
HP Housing Board,Divn,
Sanjauli, Shimla-6.

— 188 — परिशिष्ट — "ञ" पैरा-4(ख) में उल्लिखित।

DETAILS OF MISC.ADVANCES ACCOUNT AS ON 31-3.91

Sr. No.	Names	Debit	Credit.
1.	Director RID.	3047.55	-
2.	Director,PanchayatiRaj.	3810.62	-
3.	Director,HPMC.	74712.60	-
4.	Director of Industries.	4401.33	-
5.	Institute of Engineers,Shimla.	7519.45	-
6.	M/s ACC,New Delhi.	489267.07	-
7.	Shri Raju,Driver.	2224.80	-
8.	Forest Corporation,Shimla.	57303.55	-
9.	HP Agro Ind.Shimla.	54380.08	-
10.	H.P. State Small Exoprt Corp.	142.64	-
11.	Sh. Kalish Chand Driver.	18.00	-
12.	Sh. Ram Bhalia Singh.	34474.90	-
13.	M|S Ajanta Tubes Ltd.N.Delhi.	114.50	-
14.	Director Rural Housing wing.	40455.40	-
15.	Sh. Gian Chand,Chowkidar.	2.00	-
16.	Depty Controler H.P.Govt.Press.	5274 .00 60	-
17.	M|S Cement Corporation of India	75131.03	-
18.	H.P. Stqte Civil Supply Corp.	235837.08	-
19.	M|S A,C.C. Ltd.Chandigarh.	15427.65	-
20.	M/S Steel Auitharty Of India.	137235.45	-
21.	M|S Tata iron and steel co.ltd.	298073.69	-
22.	H.P. State Handloom& Haidicraft Corp.	17.00	
23.	AEE,HPSEB Jutog.	17220.00	-
24.	Sh. Vijay Kumar Mittal Cont.	8622.00	-
25.	Sh. Bhopal Singh Chauhan,JE.	35.00	-
26.	Sh. Denesh Kumar Supervisor.	3.00	-
27.	Sh. Anil Kumar Doger JE.	16459.39	-
28.	EE National Highway Rampur.	21500.00	-
29.	EE.H.SEB Solab.	259850.00	-
		-	100.00
30.	Sh. Y.P. Sharma SE.	121.00	-
31.	M|S Ladli Constructions -Co,	33.00	-
32.	Sh. P.R. Verma Supdt.	52.00	-
33.	Sh. D.R. Gandhi JE.	24.00	-
34.	Sh. Ashok Kumar Kausal Sr. Astt.	203.00	-
35.	Sh. Neer Singh Chowkidar.	558.00	-
36.	Sh. R.C. Gupta EE.	-	3.00
37.	Sh. Roshan Lal Astt.	36.00	-
38.	Sh. Anil Sharda,HDM.		

Cont...P2

39.	Smt. Kamlesh, Astt.	101.16	-
40.	Sh. Satish Kumar Goel Cont.	1.49	-
41.	Sh. Rajinder Chauhan Cont.	13.00	-
42.	Secy Kali Bari Hall Shimla	232.00	-
43.	Sh. T.K. Chandra AE.	328.60	-
~~Mxx~~	~~M/SxHindxMotorsxChandigarh~~		
44.	Sh. Bhadur Singh Peon.	2.00	-
45.	M/S Hind Motors Chandigarh.	15727.07	-
46.	M/S Otis Elevotore India N.Delhi.	42484.00	-
47.	M/S Vijan Cottn&Allied work Sanjauli.	2285.75	-
48.	Sh. Anoop Singh Cont.	667853.46	-
49.	M/S Kundan Lal Hari Ram Contt.	28173.00	-
50.	Sh. K.N. Bhalla, JE.	~~28178.00~~	80-30
51.	M/S Modi Rubber ltd. Sanjauli Shimla.	3209.70	-
52.	Sh. C.K. Sharma EE.	-	37.50.
53.	Sh. Sohan Singh Section Officer.	153.75	-
54.	M/S Himala Sales corp.	156.00	-
55.	Sh. G.R. Thakur JE.	~~586.00~~	4987.20
56.	M/S Stylco Haedware SML.	-	6789.10
57.	Sh. Nanak Chand Peop.	2.00	-
58.	Sh. Rakesh Sharma AE.	32.00	-
59.	Sh. Hari Ram UDC.	48.00	-
60.	Sh. Puran Kumar EE Mandi.	-	33.00
61.	Sh. Raj Kumar Supervisor Mandi.	-	20.00
62.	Sh. Charan Dass UDC.	40.00	~~20.00~~ -
63.	Sh. Sukh Chand TDM.	20.00	-
64.	Chief Engineer HPPWD Shimla.	495.60	-
65.	Sh. Roshan Lal UDC Mandi.	3.00	-
66.	Sh. S.P. Bansal JE.	-	490.00
67.	Sh. Khem Raj Gupta Astt.	1.00	-
68.	Maj.Gen.P.M. Paercha.	851.15.	-
69.	Sh. K.N. Sharma JE.	28.00	-
70.	Smt. Shiv Devi Sr. Clerk.	6.00	-
71.	Sh. Ashok Chauhan Cont.	163.00	-

Cont...Page 3

2,55

71.	Sh. Bipon Kaul JE.	12.00	-
72.	Sh. Shiv Kumar ,Clerk.	44.00	-
74.	Sh. L.C. Gupta EE.	164.00	-
75.	Sh. Krishan Dutt T/Mate.	7.00	-
76.	Area Manger Civil Supply-Mandi.	100272.00	-
78.	Sh. Khem Raj Chowkidar.	~~36.00~~ 2.00	-
79.	Sh. Kamal Kishor TDM.	6.00	-
79.	Area Manger Civil Supply-Bilaspur.	49.25	-
80.	HPPWD Work shop Sub,Divn, II Bhatta Kufar.	326.00	-
81.	EE.H.P.P.W.D. Divn no-I	885.00	-
82.	State Town & Country-Planner.	180.00	-
83.	Ortenial fire Gen.insurance.	12429.11	-
84.	M/S India Cement Ltd.Dhun-Shankari.	4887.46	-
85.	Sh. J.K. Kapoor JE.	104946.02	-
86.	Sh. Devi Ram.	499.00	-
87.	EE National Highway Divn	81.80	-
88.	Sh. H.C. Rai,Principal.	67.94	-
89.	Sh. H,S Bishat.AE .	3719.52	-
90.	Sh. B.K. Khanna,Finance officer	17.91	-
91.	Dr. Bazliel.	97.80	-
92.	EEH.P.P.W.D. Store Sub-Divn, Dhalli.	1411.52	-
93.	AE,HPPWDivn,II Shimla.	1393.39	-
94.	EE H.P.SEB Shimla-Divn.	-	47880-65
95.	M/S Anoop Singh Service Station-Shimla.	1715.78	-
96.	Sh. Sita Ram AE.	~~5398.00~~ 5396.64	-
97.	Sh. Sunder Kumar Driver.	3665.66	-
98.	EE,PWD Divn-I Theog.	127.25	-
99.	National Enterprises.;Dhalli.	2930.62	-
100.	M/S Kuldeep Singh & Sons.	723.14.	-
101.	M/S Bharat over seas PVT Ltd, Delhi.	78266.04	

~~102. EE H.P. SEB Shimla~~

Cont.Page.....4......

— 191 — 286

.....4........

	E.E.H.P.SEB Shimla.	~~X8266x90~~ 89.90	
103.	Sh.Narinder,Peon.	39.35	-
104.	Sh. Suminder Singh Jhina.	7464.06	-
105.	Sh.P.D.Bhargwa,advacoate.	600.00	-
106.	Sh. J.L. Chauhan Contt.	182.99	-
107.	Aera Manger Civial Supply-Copr. Solan.	42.00	-
108.	EE B&R Division-No.II Mandi.	3555.00	-
109.	Sh. Sk S.K. Gautam,SE.	174.00	-
110.	AE HPPWD SWb-Divn-II.	720.00	-
111.	Sh. B.P. Tongotra.JE.	70.50	-
112.	Sh. ML. Sharma,JE Mandi.	6.00	-
113.	Staff of Mech. Car/Jeep Charges.	-	40.50
114.	EE, HPPWD, Shimla Divn.	-	15084.17
115.	AEXStore Sub Davn-II.	462.26	-
116.	D.F.O. Shimla.	1795.00	-
117.	M/S Everest expesto Cement Co.	714.00	-
118.	Sh. C.J. Mohindru.	38.25	-
119.	EE,HPHB Parwanoo Divn.	105.00	-
120.	Gainda Mal Hem Raj.	-	2229.00
121.	Ritz Annexe Shimla.	13882.55	-
122.	Wordon Corp Mall Shimla.	3882.70	-
123.	Sh. R.S. Jaswal.	-	1232.60
124.	Sh. Beli Ram UDC.	4-00	-
125.	Sh.Kalyan Singh JE.	16.00	-
126.	Ravi Kant,TDM.	31.09	-
127.	K.K.Misra,AE(E)	29.00	-
128.	Sohan Lal,Asstt.	14.00	-
129.	Rattan Chand,Painter.	2.00	-
130.	SS Joshi,Asstt.	349.55	-
131.	AE,I,HPHB,Sanjauli.	9334.10	-
132.	AE-II,HPHB,Shimla.	958.40	-
133.	AE-III,HPHB,Shimla.	863.48	-
134.	Hari Lal,Clerk.	132.90	-
135.	Krishan Chand,Peon.	63.70	-
136.	Surinder Kumar,St[illegible]	18.30	.
137.	Rajinder Makkar,SE.	1.[illegible]	-
138.	Jolly Ram,Driver.	563.50	-
139.	S.K. Sharma EE		
	Total:	2904107.16	75887.02

Net difference Dr.2908220.14

Executive Engineer,

परिशिष्ट – "घ" पैरा – 15 (क) में उल्लिखित

क्र. सं.	विभाग/संस्था का नाम	किराए पर लेने की तिथी तथा अवधि	प्रति माह किराए की दर	31.3.91 को कुल अवशेष राशि	31.3.91 तक प्राप्त की गई राशि	वसूली हेतु अवशेष राशि
1	आर० आई० डी० विभाग।	1.4.82 से 31.3.91	400/= रु०	43200.00 रु०	40,000/=	3200=00 रु०
2.	इन्द० पी० एम० सी०।	1.3.82 से 31.3.91	398/= रु०	43382.00 रु०	29452/=	13930=00 रु०
3 (i)	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक।	1.3.82 से 4.11.85	398/= रु०	17565=00 रु०	शून्य	17565=00 रु०
(ii)	इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स।	5.11.85 से 31.3.91	398/= रु०	25817=00 रु०	शून्य	25817=00 रु०
4.	सरल आढ़तियां।	1.1.80 से 31.3.91	358/= रु०	53730=00 रु०	शून्य	53730=00 रु०
			योग :–	183694.00	69452.00	114242.00

रु० 1,14,242=00 रु०